परिशिष्ट–1.1 (अ)
(संदर्भः कंडिका–छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य; पृष्ठ–1)
छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा

अ–सामान्य आंकड़े

संक्रं.	विवरण			आँकड़े
1	क्षेत्र			1,35,192 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	अ	2001 की जनगणना के अनुसार		2.08 करोड़
	ब	2011 की जनगणना के अनुसार		2.55 करोड
3	अ	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)		154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
	ब	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)		189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या[1] (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत=29.50 प्रतिशत)			47.90 प्रतिशत
5	अ	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =64.80 प्रतिशत)		64.66 प्रतिशत
	ब	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =73.00 प्रतिशत)		70.28 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर[2] (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत = 40 प्रति 1000 जीवित बच्चे)			46 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	गिनी कोएफीशियेन्ट[3]			
	अ	ग्रामीण (राष्ट्रीय=0.29)		0.28
	ब	शहरी (राष्ट्रीय=0.38)		0.33
8	सकल राज्य घरेलु उत्पाद[4] (जीएसडीपी) 2014–15 के वर्तमान मूल्य के अनुसार			₹ 2,10,191.79 करोड़
9	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2005–06 से 2014–15)		**अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में**	13.86
			छत्तीसगढ़	14.85
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2005–06 से 2014–15)		**अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में**	15.44
			छत्तीसगढ़	16.45
11	जनसंख्या वृद्धि (2005–06 से 2014–15)		**अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में**	12.76
			छत्तीसगढ़	13.21

ब– वित्तीय आँकड़े

विवरण				
सीएजीआर		2005–06 से 2013–14		2005–06 से 2014–15
		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़
		(आँकड़े प्रतिशत में)		
क	राजस्व प्राप्तियों का	15.76	17.47	17.59
ख	स्वयं के कर राजस्व का	15.32	16.48	15.54
ग	कर भिन्न राजस्व का	13.53	19.47	16.68
घ	कुल व्यय का	15.23	19.57	19.51
ङ	पूंजीगत व्यय का	14.61	15.86	15.48
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.10	24.01	25.21
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	21.91	24.46
ज	वेतन एवं मजदूरी का	15.23	18.57	17.52
झ	पेंशन का	18.70	25.00	24.21

(स्रोतः–वित्तीय आँकड़े वित्त लेखों पर आधारित है।)

1 गरीबी को मापने के लिये कार्यपद्धति को पुनर्निरीक्षण करने के लिये विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) का प्रतिवेदन (योजना आयोग जून 2014, पृष्ठ–66)

2 शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन 2014)

3 गनी कोएफिशियेन्ट जनसंख्या में आय की असमानता का एक माप है। मूल्य दर शून्य से एक शून्य के निकट असमानता कम है, एक के निकट असमानता अधिक है (योजना आयोग के अशासकीय प्राक्कलन एवं राष्ट्रीय प्रादर्श सर्वेक्षण संगठन के आँकड़े 61वां चक्र 2009–10–यूआरपी)

4 आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014–15

परिशिष्टः–1.1 (ब)
(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ–2)
सरकारी लेखों की संरचना एवं प्रारूप

सरकार के लेखे की संरचनाः राज्य शासन के लेखे तीन भागों (I) समेकित निधि (II) आकस्मिकता निधि और (III) लोक लेखा में रखे जाते हैं।

भाग (I) समेकित निधिः राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनियम पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण आंतरिक और बाहय ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।

भाग (II) आकस्मिकता निधिः भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।

भाग (III) लोक लेखाः कुछ लेन–देनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उंचत, प्रेषण आदि से संबंधित प्रप्तियाँ एंव संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं है, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुछेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा मत के अधीन नहीं है।

भाग–सः वित्त लेखों की रूपरेखा

वित्त लेखों को दो भाग में विभजित किया गया है।

खण्ड–1 – सारांशीय विवरणी	
विवरण क्र. 1	वित्तीय स्थिति का वितरण–वर्ष के अंत में शासन के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयित आंकड़े।
विवरण क्र. 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण– वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियाँ एवं संवितरण।
विवरण क्र. 3	प्राप्तियों का विवरण– शासन की राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण।
विवरण क्र. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण– कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण।
खण्ड–2	
विवरण क्र. 5	प्रगामी पूंजीगत परिव्यय का विवरण–पूंजीगत व्यय का प्रगामी जोड़ मार्च 2015 अंत तक का सारांशी विवरण।
विवरण क्र. 6	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण–शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत सरकार से प्राप्त कर्जे, अन्य दायित्व एंव ऋणों की सेवायें।
विवरण क्र. 7	शासन द्वारा दिये गये कर्जे तथा पेशगियों का विवरण – राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुर्नभुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि।
विवरण क्र. 8	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिए विभिन्न संबंधित पूंजीगत शेयर एवं ऋण पत्र में शासकीय निवेश का तुलनात्मक सारांश।
विवरण क्र. 9	शासन द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण–सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पूनर्भुतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटी।
विवरण क्र. 10	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण क्र. 11	प्रभारित एवं दत्तमत व्यय का विवरण–वर्ष के दौरान किये गए व्यय के भारित एवं दत्तमत मध्य वितरण।
विवरण क्र. 12	वर्ष 2014–15 के अंत तक व्यय (राजस्व लेखे के अतिरिक्त) के लिये अन्य निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 13	संमेकित निधि, आकस्मिता निधि एवं लोक लेखे के अतंगर्त शेषों का सारांश, ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित लेखे के शीर्ष के अतंगर्त प्राप्तियाँ संवितरण एवं शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरण क्र. 14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शिर्षवार विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण ।
विवरण क्र. 16	मुख्य शीर्षवार तथा लघुशीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरणः वर्ष 2014–15 के अंत तक खर्च किए गये विस्तृत पूंजीगत व्यय एवं पिछले वर्ष की आंकड़ों से तुलना को दर्शाता हैं।
विवरण क्र. 17	उधारों तथा अन्य दायित्वों का लघु शिर्षवार विस्तृत विवरण ।
विवरण क्र. 18	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विस्तृत विवरणः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान ऋण का पुर्नभुगतान, 31 मार्च 2015 तक का विस्तृत लेखा।
विवरण क्र. 19	शासन के निवेशों का विस्तृत विवरणः 31 मार्च 2015 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कंपनीयों, अन्य संयुक्त पूंजी कंपनीयों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण।
विवरण क्र. 20	शासन द्वारा दिये गये गारंटियों का विवरण–संस्थावार।
विवरण क्र. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 22	चिन्हित निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण।

परिशिष्ट–1.2

(संदर्भः कंडिका–छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य; पृष्ठ–2)

राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि

यह मानकर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिनिधित्व वाले आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय अस्थिर अंक के सह दक्षता सहित उत्पलावकता की संगणना यह आंकलन करने के लिए की गई है कि संसाधनों का संग्रह व्यय की रीति इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला रहा है अथवा इन राजकोषीय कुल योग पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित होता है।

विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियां निम्नानुसार सूचित किया जाता हैः

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

	2010–11	2011–12	2012–13(पी)	2013–14(क्यू)	2014–15(ए)
प्राथमिक क्षेत्र	37,820.66	45,616.54	51,698.70	56,044.90	63,573.91
द्वितीय क्षेत्र	36,551.67	44,678.70	50,252.24	55,974.45	61,750.80
तृतीय क्षेत्र	45,047.43	53,816.96	63,690.26	73,663.13	84,867.08
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	1,19,419.76	1,44,112.20	1,65,641.20	1,85,682.48	2,10,191.79
जीएसडीपी का विकास दर (प्रतिशत में)	20.18	20.68	14.94	12.10	13.20

(स्रोतः–छत्तीसगढ़ शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग वर्ष 2014–15)
नोटः ए–अग्रिम अनुमान, क्यू–त्वरित अनुमान, पी–अस्थायी अनुमान

प्राथमिक क्षेत्र– कृषि (पशुपालन सहित), वन, मत्स्य पालन, खनिज एवं उत्खन्न

द्वितीय क्षेत्र– उत्पादन (पंजीकृत एवं अपंजीकृत), निर्माण गतिविधियाँ, विद्युत, गैस एवं जल वितरण

तृतीय क्षेत्र– रेल, अन्य साधन द्वारा परिवहन, भंडारण, संचार, व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, बैंक, बीमा एवं रियल स्टेट, मालिकाना हक एवं व्यापार सेवायें, सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवायें

राजकोषीय समूहों के नमूने एवं प्रचलनों के आंकलन में उपयोग में लाये गये कुछ चयनित शब्दों की परिभाषा नीचे दी गई है:

शब्द	संगणना के आधार
उत्प्लावकता का माप सूचक	मापसूचक की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर
मापसूचक की उत्प्लावकता (X) अन्य मापसूचक के संदर्भ में (Y)	मापसूचक (X) की वृद्धि दर/मापसूचक (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि की दर (आरओजी)	[(चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि)–1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं)/2]*100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि–औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टाक*ब्याज विस्तार
दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	ब्याज प्राप्ति/[(प्रारंभिक शेष+ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति–राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल ऋण एवं अग्रिम–राजस्व प्राप्तियाँ–विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा–ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियों से घटायें सभी योजना अनुदानों एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 2048 में दर्ज व्यय को छोड़कर ऋण परिहार को कम करने के लिए विनियोग
संसाधनों का अंतर	क्रमिक गैर ऋण प्राप्तियां–क्रमिक प्राथमिक राजस्व व्यय+क्रमिक ब्याज भुगतान

परिशिष्ट–1.3
(संदर्भः कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.4; पृष्ठ–2, 9 एवं 16)
राज्य शासन के वित्त का अवधिवार आँकड़ा विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
भाग–अ प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**22,720(94)**	**25,867(94)**	**29,578(89)**	**32,050(85)**	**37,988(85)**
(i) कर राजस्व	**9,005(40)**	**10,712(41)**	**13,034(44)**	**14,343(45)**	**15,707(41)**
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	4,841(54)	6,006 (56)	6,929(53)	7,930(55)	8,429(54)
राज्य आबकारी	1,506(17)	1,597(15)	2,486(19)	2,549(18)	2,892(18)
वाहन पर कर	428(5)	502(5)	592(5)	651(4)	703(04)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	786(9)	846(8)	952(7)	990(7)	1,023(07)
भूमि राजस्व	247(3)	271(3)	234(2)	226(2)	332(02)
सामग्री एवं यात्रियों पर कर	675(7)	826(7)	954(7)	945(7)	982(06)
अन्य कर	522(6)	665(6)	887(7)	1,052(7)	1,346(09)
(ii) कर भिन्न राजस्व	**3,836(17)**	**4,058(16)**	**4,616(16)**	**5,101(16)**	**4,930(13)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	**5,425(24)**	**6,320(24)**	**7,218(24)**	**7,880(24)**	**8,363(22)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**4,454(20)**	**4,776(18)**	**4,710(16)**	**4,726(15)**	**8,988(24)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**2**	**4**	**2**	**8**	**3**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**561(2)**	**1,283(5)**	**1,542(5)**	**1,637(4)**	**195(0.44)**
3 (अ) अंतर्राज्यीय समाशोधन	**3**	**2**	**2**	**5**	**1**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**23,286**	**27,156**	**31,124**	**33,700**	**38,187**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**795(3)**	**421(2)**	**2,058(6)**	**3,932(10)**	**6,440 (14)**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	592	365	2,041	3,917	6,431
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन	––	–	––	––	––
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	203	57	17	15	9
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**24,081**	**27,577**	**33,182**	**37,632**	**44,627**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**27,524**	**34,161**	**39,579**	**45,868**	**51,322**
9. राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**51,605**	**61,739**	**72,761**	**83,500**	**95,949**
भाग–ब व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**19,355(85)**	**22,628(81)**	**26,972(80)**	**32,859(85)**	**39,561(85)**
आयोजना	8,069(42)	10,004(44)	12,440(46)	13,749(42)	20,990(53)
आयोजनेत्तर	11,286(58)	12,624(56)	14,532(54)	19,110(58)	18,571(47)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	5,247(27)	5,904(26)	6,649(25)	7,851(24)	9,041(23)
सामाजिक सेवायें	8,310(43)	10,477(46)	11,456(42)	14,282(43)	15,389(39)
आर्थिक सेवायें	5,091(26)	5,560(25)	8,012(30)	9,756(30)	14,152(36)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	**707(4)**	**687(3)**	**854(3)**	**970(3)**	**979(2)**
11. पूंजीगत व्यय	**2,952(13)**	**4,056(14)**	**4,919(15)**	**4,574(12)**	**6,544(14)**
आयोजना	2,951(100)	4,055(100)	4,914(100)	4,575(100)	6,535(99.86)

	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
आयोजनेत्तर	1	1	5	(–) 01	9(0.14)
सामान्य सेवायें	53(2)	42(2)	125(2)	182(4)	258(4)
सामाजिक सेवायें	828(24)	989(24)	951(24)	692(15)	1,560(24)
आर्थिक सेवायें	2,071(74)	3,025(74)	3,843(74)	3,700(81)	4,727(72)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**567(2)**	**1,269(5)**	**1,889(6)**	**1,319(3)**	**89(0.19)**
12(अ) अंतर्राज्यीय समायोजन	**2**	**4**	**–1**	**5**	**1**
13. योग (10+11+12+12 (अ))	**22,876**	**27,957**	**33,779**	**38,757**	**46,195**
14. लोक ऋण की अदायगी	**691(3)**	**853(3)**	**1,039(3)**	**690(2)**	**1,337(3)**
आंतरिक ऋण (आर्थोपाय आग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	555(80)	711(83)	870(84)	541(78)	1,180(88)
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	135(20)	142(17)	169(16)	149(22)	157(12)
15 आकस्मिकता निधि से विनियोजन	..	..	..	..	..
16 संचित निधि से संवितरण (13+14+15)	**23,567**	**28,810**	**34,818**	**39,447**	**47,532**
17 आकस्मिकता निधि से संवितरण	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 लोक लेखा संवितरण	**26,896**	**32,940**	**38,527**	**43,434**	**49,933**
19.राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**50,463**	**61,750**	**73,345**	**82,881**	**97,465**
भाग – स – घाटा					
20. राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+) (1–10)	**(–) 3,364**	**(–) 3,239**	**(–) 2,606**	**(–) 809**	**(–) 1,573**
21.राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+) (4–13)	**(–) 410**	**(–) 801**	**(–) 2,655**	**(–) 5,057**	**(–) 8,008**
22. प्राथमिक घाटा (–)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	**(–) 1,608**	**(–) 392**	**(–) 1,502**	**(–) 3,706**	**(–) 6,281**
भाग – द – अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**1,198**	**1,193**	**1,153**	**1,351**	**1,727**
24. स्थानीय निकायों आदि को आर्थिक सहायता	**3401**	**4,607**	**7,044**	**7,651**	**10,573**
25. अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्ष (दिनों में)	**0**	**0**	**0**	**0**	0
लिए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिनों में)	0	0	0	0	5
लिए गए अधिविकर्ष (दिनों में)	0	0	0	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्ष पर ब्याज	**0**	**0**	**0**	**0**	0
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	**1,19,420**	**1,44,382**	**1,63,461**	**1,85,060**	**2,10,192**
28. बकाया ऋण (वर्षांत)	**16,581**	**17,103**	**19,268**	**24,902**	**31,181**
29. बकाया प्रत्याभूति (वर्षांत)	**2,849**	**2,637**	**2,695**	**3,358**	**2,314**
30. प्रत्याभूति दी गई अधिकतम राशि (वर्षांत)	**5,054**	**7,079**	**6,605**	**7,572**	**9,080**

	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**77**	**137**	**146**	**166**	**167**
32.अपूर्ण परियोजनोओं में अवरूद्ध पूंजी	**887**	**2,042**	**3,110**	**4,198**	**4,824**
भाग – इ – राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
1. संसाधनों का प्रचलन					
स्वंय का कर राजस्व / जीएसडीपी (अनुपात)	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07
स्वंय का कर भिन्न राजस्व / जीएसडीपी (अनुपात)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
केन्द्रीय अंतरण / जीएसडीपी (अनुपात)	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08
2. **व्यय प्रबंधन**					
कुल व्यय / जीएसडीपी (अनुपात)	0.19	0.19	0.21	0.21	0.22
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.01	1.08	1.14	1.21	1.22
राजस्व व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.85	0.81	0.8	0.85	0.86
पूंजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.13	0.15	0.15	0.12	0.14
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.13	0.14	0.14	0.11	0.14
3. राजकोषीय असंतुलनों का प्रंबधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य) / जीएसडीपी (अनुपात)	0.03	0.02	0.02	0.00	(–)0.01
राजकोषीय घाटा (–) / आधिक्य (+) / जीएसडीपी (अनुपात)	0.00	(–) 0.01	(–) 0.02	(–) 0.03	(–)0.04
प्रारंभिक घाटा / आधिक्य / जीएसडीपी (अनुपात)	(+) 0.01	0.00	(–) 0.01	(–) 0.02	(–) 0.03
राजस्व घाटा / आधिक्य / राजकोषीय घाटा (अनुपात)	(+) 8.20	(–) 4.04	(–) 0.98	(+) 0.16	(+)0.20
4. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबधन					
राजकोषीय देनदारियाँ / जीएसडीपी (अनुपात)	0.14	0.12	0.12	0.13	0.15
राजकोषीय देनदारियाँ / आरआर (अनुपात)	0.73	0.66	0.65	0.78	0.82
प्रमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा (अनुपात)	0.93	0.29	1.72	2.71	3.58
5. अन्य राजकोषीय सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (वापसी)	4.3	0.04	0.11	0.76	0.05
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	8,377	10,113	11,763	9,730	12,097
वित्तीय परिसंपत्तियाँ / देनदारियाँ (अनुपात)	1.43	1.6	1.66	1.48	1.36

नोटः– 1. जीएसडीपी आंकडों में बदलाव के कारण आकड़े में बदलाव
2. ए (एडवांस) क्यू (क्विक) पी (प्राविजनल)
3. एन.ए. – उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट– 1.4 (अ)
(संदर्भः कंडिका– 1.1.1 एवं 1.9.2; पृष्ठ 2 एवं 32)
(वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार)

(₹ करोड़ में)

2013–14		प्राप्तियाँ	2014–15			2013–14		संवितरण	2014–15		
									आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
32,050.26		**राजस्व प्राप्तियाँ**		**37,988.01**		**32,859.58**		**राजस्व व्यय**	**18,571.28**	**20,990.02**	**39,561.29**
	14,342.71	कर राजस्व	15,707.26				**7,851.15**	**सामान्य सेवायें**	**8,966.39**	**75.19**	**9,041.58**
	5,101.17	कर भिन्न राजस्व	4,929.91				**14,282.10**	**समाजिक सेवायें**	**4,773.90**	**10,614.95**	**15,388.85**
	7,880.22	संघीय करों में राज्यांश	8,363.03				6,845.46	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	3,194.66	6,062.30	9,256.96
	1,415.78	आयोजनेत्तर अनुदान	1568.29				1,428.57	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	550.42	1,548.47	2,098.89
	2,121.47	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	6435.44				1,434.71	जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	250.43	1,305.70	1,556.13
	1,188.91	केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	984.08				69.49	सूचना एवं प्रसारण	62.86	2.92	65.78
							714.83	अनूसूचित जातियों/ अनूसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	42.23	141.79	184.02
							140.78	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	69.08	104.27	173.35
							3,633.58	समाजिक कल्याण एवं पोषण	591..87	1,444.00	2,035.87
							14.68	अन्य	12.34	5.50	17.84
						9,755.93		**आर्थिक सेवायें**	**3,852.34**	**10,299.88**	**14,152.22**
							5,152.15	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	1,668.30	6,057.58	7,725.88
							2,090.01	ग्रामीण विकास	909.21	2,678.64	3,587.85
							0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			0
							46.00	संचार	0.00	76.41	76.41
							416.33	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	245.09	206.52	451.61
							495.46	उर्जा	0.00	936.68	936.68
							467.47	उद्योग एवं खनिज	337.06	287.62	624.68
							988.99	परिवहन	651.07	0.78	651.85
							11.14	विज्ञान प्रोद्यौगिकी एवं पर्यावरण	2.33	7.97	10.30
							88.39	सामान्य आर्थिक सेवायें	39.28	47.67	86.95
							970.39	**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	978.64	0.00	978.64
32,050.26		**कुल राजस्व प्राप्तियाँ**		37,988.01			32,859.57	**कुल राजस्व व्यय**	18,571.27	20,990.02	39,561.29
809.31	**II**	**अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व घाटा**		1,573.28			0	**अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व आधिक्य**			0
		योग		**39,561.29**				**योग**			**39,561.29**

2013–14		प्राप्तियाँ	2014–15		2013–14		संवितरण	2014–15		
								आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
2,116.94	**III**	**स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष**		**2,735.29**	0.00		**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्षण**	0.00	0.00	0.00
7.64	**IV**	**विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**		**3.03**	**4,574.19**		**पूंजीगत व्यय**	**9.59**	**6,534.66**	**6,544.25**
					182.42		**सामान्य सेवायें**	**9.52**	**248.22**	**257.74**
					691.96		**सामाजिक सेवायें**	**0.07**	**1,559.80**	**1,559.87**
						253.34	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति	0.00	261.25	261.25
						126.99	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	234.46	234.46
						84.95	जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास	0.00	701.68	701.68
						0.00	सूचना एवं प्रसारण	0.02	0.00	0.02
						81.93	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग का कल्याण	0.05	215.77	215.82
						106.27	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	94.32	94.32
						38.48	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00	52.32	52.32
					3,699.81		**आर्थिक सेवायें**	**0.00**	**4,726.64**	**4,726.64**
						88.89	कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	**0.00**	58.23	58.23
						90.71	ग्रामीण विकास	0.00	457.37	457.37
						1,684.35	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,538.93	1,538.93
						22.00	उर्जा	0.00	32.50	32.50
						8.11	उद्योग एवं खनिज	0.00	35.84	35.84
						1,801.35	परिवहन	0.00	2,591.37	2,591.37
						0.00	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.00	5.90	5.90
						4.40	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	6.50	6.50
					4,574.19		**योग पूंजीगत व्यय**	**9.59**	**6,534.66**	**6,544.25**
5.14	**V**	**अंतर्राज्यीय समाशोधन**		**0.91**	**5.3**		**अंतर्राज्यीय समाशोधन**			**1.22**
1,637.27	**VI**	**ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ**		**194.86**	**1,318.53**		**ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण**			**88.32**
	58.35	विद्युत परियोजनाओं से	73.17			0.00	विद्युत परियोजनाओं हेतु			0.00
	(–) 0.09	सरकारी सेवकों से	0.28			0.00	सरकारी सेवकों को			0.00
	1,579.01	अन्य से	121.41			1318.53	अन्य को			88.32
0.00	**VII**	**लाया गया राजस्व अधिक्य**		**0.00**	**809.31**		**लाया गया राजस्व घाटा**			**1,573.28**
3,931.89	**VIII**	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		**6,439.67**	**689.65**		**लोक ऋणों का पुनर्भगतान**			**1,336.73**
0.00		बाह्य ऋण		0.00	0.00		बहाय ऋण			0.00
3,917.31		अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण		5,654.94	540.56		अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण			787.31

2013–14		प्राप्तियाँ	2014–15		2013–14		संवितरण	2014–15		
								आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
0.00		अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन		776.04		0.00	अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन			392.24
0.00		अधिविकर्षण के अधीन निवल लेनदेन		0.00						
14.59		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम		8.69		149.09	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			157.18
0.00	IX	आकस्मिकता निधि से विनियोग		0.00		0.00	आकस्मिकता निधि से विनियोग			0.00
0.00	X	आकस्मिता निधि को स्थानांतरित		0.00		0.00	**आकस्मिता निधि से व्यय**			**0.00**
45,867.54	XI	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**51,321.89**	**43,434.15**		**लोक लेखा संवितरण**			**49,933.47**
	882.41	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	994.91			617.01	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ			551.08
	824.49	आरक्षित निधियाँ	826.76			422.38	आरक्षित निधियाँ			463.67
	29,816.41	उचंत एवं विविध	36,997.13			29,771.48	उचंत एवं विविध			36,875.78
	9,105.44	प्रेषण	8,550.33			9,203.47	प्रेषण			8,356.80
	5,238.79	निक्षेप एवं अग्रमि	4,152.76			3,419.81	निक्षेप एवं अग्रिम			3,686.14
0.00	XII	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्षण**	**0.00**	0.00	**2,735.29**		**वर्ष के अंत में रोकड़ शेष**			**1,218.38**
						0.00	कोषालय में रोकड़ तथा स्थनीय प्रेषण			0.00
						(–)46.71	रिजर्व बैंक के पास निक्षेप			(–)134.31
						9.94	स्थयी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			10.31
						2,772.06	रोकड़ शेष निवेश			1,342.38
53,566.42		**योग ब**		**60,695.65**	**53,566.42**		**योग ब**			**60,695.65**

परिशिष्ट–1.4 (निरंतर)

(संदर्भः कंडिका–1.9.1; पृष्ठ 32)

भाग बः छत्तीसगढ़ शासन की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

31.03.2014 की स्थिति	दायित्व		31.03.2015 की स्थिति में
12,943.37	**आंतरिक ऋण**		**18,194.80**
6,077.93	ब्याज सहित बजार ऋण	9,885.57	
2.11	ब्याज रहित बजार ऋण	2.11	
20.29	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20.29	
6,843.04	अन्य संस्थाओं से ऋण	7,903.03	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	383.80	
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्षण	0.00	
2,002.87	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**1,854.38**
0.68	1984–85 से पूर्व के ऋण	0.68	
5.88	आयोजनेत्तर ऋण	3.50	
1,996.35	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1,850.24	
0.19	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.19	
(–)0.23	केन्द्र प्रवर्तित योजाओं के लिए ऋण	(–)0.23	
40.00	**आकस्मिकता निधि**		**40.00**
3,202.62	**लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि**		**3,648.09**
5,170.24	**निक्षेप**		**5,636.85**
2,827.44	**आरक्षित निधियाँ**		**3,190.53**
183.69	**उचंत एवं विविध शेष**		**105.06**
26,370.23	**योग**		**32,669.71**
34,281.67	**अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत व्यय**		**41,556.06**
1,866.44	कम्पनियाँ निगमों इत्यादि में निवेश	1,872.53	
32,415.23	अन्य पूंजीगत व्यय	39,683.53	
1,545.98	**ऋण एवं अग्रिम**		**1,439.45**
181.88	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	108.71	
1,211.10	अन्य विकास ऋण	1,168.01	
153.00	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	162.73	
1,244.57	**आरक्षित निधि में निवेश**		**1,343.63**
1.96	**अग्रिम**		**1.95**
538.30	**प्रेषण शेष**		**344.78**
0.00	**आस्मिकता निधि**		**0.00**
1,490.72	**नगदी**		**(–)125.26**
0.00	कोषालय में रोकड़ एवं स्थनीय प्रेषण	0.00	
(–)46.71	रिजर्व बैंक में निक्षेप	(–)134.31	
9.63	विभागीय नगदी शेष अचल	9.98	
0.31	स्थायी अग्रिम	0.33	
1,527.49	नगदी शेष निवेश	(–)1.26	
(–)12,732.97	**सरकारी लेखे में घाटा**		**(–)11,890.90**
809.31	(1) घटाइये चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य	1,573.28	
1.73	(2) प्रारूप सुधार एवं अन्य समायोजन	(–)731.21	
(–)13,544.01	वर्ष के प्रारंभ में संचयित घाटा	(–)12,732.97	
26,370.23	**योग**		**32,669.71**

परिशिष्ट–1.5
(संदर्भः कंडिका–1.1.3, 1.3.1; पृष्ठ 5 तथा 12)
वर्ष 2014–15 के बजट आंकलन के विरूद्ध वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट आकलन 2014–15	वास्तविक आंकड़े	वृद्धि (+) कमी (–)	वृद्धि एवं कमी का प्रतिशत
राजस्व प्राप्तियाँ	**48,654.29**	**37,988.01**	(–)10,666.28	(–)21.92
कर राजस्व	**17,926.25**	**15,707.26**	(–)2,218.99	(–)12.38
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	9,800.00	8,428.61	(–)1,371.39	(–)13.99
राज्य आबकारी	3,150.00	2,892.45	(–)257.55	(–)8.18
वाहनों पर कर	800.00	703.48	(–)96.52	(–)12.07
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	1,250.00	1,023.33	(–)226.67	(–)18.13
सामग्री एवं यात्रियों पर कर	1,335.00	981.88	(–)353.12	(–)26.45
भूमि कर	460.00	331.56	(–)128.44	(–)27.92
शुल्कों एवं विद्युत पर कर	1,100.00	1,312.93	212.93	19.36
अन्य कर	31.25	33.02	1.77	5.66
कर भिन्न राजस्व	**6,184.62**	**4,929.91**	(–)1,254.71	(–)20.29
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	**9,881.39**	**8,363.03**	(–)1,518.36	(–)15.37
भारत सरकार से सहायता अनुदान	**14,662.03**	**8,987.81**	(–)5,674.22	(–)38.70
राजस्व व्यय	**46,190.78**	**39,561.29**	(–)6,629.49	(–)14.35
सामान्य सेवा	**8,539.66**	**9,041.58**	501.92	5.88
राज्य के अंग	476.91	336.42	(–)140.49	(–)29.46
राजकोषीय सेवायें	792.45	613.42	(–)179.03	(–)22.59
ब्याज भुगतान एवं ऋण शोधन	1,922.20	1,826.62	(–)95.58	(–)4.97
प्रशासनिक सेवायें	2,842.71	3,015.43	172.72	6.08
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	2,505.40	3,249.68	(–)5,289.98	(–)61.95
सामाजिक सेवायें	**18,751.57**	**15,388.85**	(–)3,362.72	(–)17.93
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	10,771.02	9,256.96	(–)1,514.06	(–)14.06
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2,634.24	2,098.89	(–)535.35	(–)20.32
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	2,341.47	1,556.13	(–)785.34	(–)33.54
सूचना एवं प्रोद्यौगिकी	69.84	65.79	(–)4.05	(–)5.80
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग का कल्याण	243.37	184.01	(–)59.36	(–)24.39
श्रमिक तथा श्रम कल्याण	228.74	173.36	(–)55.38	(–)24.21
सामाजिक कल्याण एवं पोषाण	2,442.39	2,035.87	(–)406.52	(–)16.64
अन्य	20.50	17.84	(–)2.66	(–)12.98
आर्थिक सेवायें	**17,918.85**	**14,152.22**	(–)3,766.63	(–)21.02
कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	10,077.83	7,725.88	(–)2,351.95	(–)23.34
ग्राम विकास	5,125.46	3,587.85	(–)1,537.61	(–)30.00
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	339.00	451.61	112.61	33.22
उर्जा	515.36	936.68	421.32	81.75
उद्योग एवं खनिज	684.53	624.69	(–)59.84	(–)8.74
परिवहन	938.63	651.85	(–)286.78	(–)30.55
संचार	112.32	76.41	(–)35.91	(–)31.97
विज्ञान, प्रोद्यौगिकी एवं पर्यावरण	12.80	10.30	(–)2.50	(–)19.53
सामान्य आर्थिक सेवायें	112.92	86.96	(–)25.96	(–)22.99
सहायता अनुदान एवं अंशदान	**980.70**	**978.64**	(–)2.06	(–)0.21
पूंजीगत व्यय जिसमें	**8,347.27**	**6,544.25**	(–)1,803.02	(–)21.60

विवरण	बजट आकलन 2014–15	वास्तविक आंकड़े	वृद्धि (+) कमी (–)	वृद्धि एवं कमी का प्रतिशत
सामान्य सेवायें	**263.29**	**257.74**	(–)5.55	(–)2.11
सामाजिक सेवायें	**2,050.56**	**1,559.88**	(–)490.68	(–)23.93
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	436.50	261.26	(–)175.24	(–)40.15
विवरण	**बजट आंकलन 2014–15**	**वास्तविक आंकड़े**	**वद्धि (+) कमी (–)**	**वद्धि एवं कमी का प्रविशत**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	294.60	234.46	(–)60.14	(–)20.41
जल पूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	814.63	701.68	(–)112.95	(–)13.87
सूचना तथा प्रसार	0.02	0.02	0.00	0.00
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनतातियों के तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	295.57	215.82	(–)79.75	(–)26.98
सामाजिक कल्याण तथा पोषाण	147.24	94.32	(–)52.92	(–)35.94
अन्य सामाजिक सेवाएं	62.01	52.32	(–)9.69	(–)15.63
आर्थिक सेवाएं	6,033.41	4,726.63	(–)1,306.78	(–)21.66
कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	133.81	58.23	(–)75.58	(–)56.48
ग्रामीण विकास	448.30	457.37	9.07	2.02
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,992.31	1,538.93	(–)453.38	(–)22.76
उर्जा	65.00	32.50	(–)32.50	(–)50.00
उद्योग एवं खनिज	39.27	35.84	(–)3.43	(–)8.73
परिवहन	3,331.82	2,591.36	(–)740.46	(–)22.22
विज्ञान प्रौद्यगिकी एवं पर्यावरण	4.90	5.90	1.00	20.41
सामान्य आर्थिक सेवाएं	18.00	6.50	(–)11.50	(–)63.89
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–)	2,463.51	(–)1,573.28	(–)4,036.79	(–)163.86
राजकोषीय घाटा (–)	(–)5,760.93	(–)8,008.27	(–)2,247.34	39.01
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (–)	(–)3,938.73	(–)6,281.65	(–)2,342.92	59.48

परिशिष्ट–1.6
(संदर्भः कंडिका–1.1.4; पृष्ठः 6)
वर्ष 2014–15 के दौरान महिलाओं के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

संं.क्र	योजनाओं के नाम	बजट अनुमान (जेंडर बजट)	विनियोग लेखे के अनुसार कुल प्रावधान	व्यय	बचत (–)/ आधिक्य(+)
1	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	1.20	1.15	1.16	0.01
2	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	4.81	5.46	3.66	(–)1.80
3	परिचारकों का प्रशिक्षण	6.07	9.57	3.45	(–)6.12
4	कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना	26.46	10.20	10.20	0.00
5	छात्रा प्रोत्साहन योजना	8.50	8.50	0.00	(–)8.50
6	हाई स्कूल छात्राओं को निःशुल्क साईकल प्रदाय	91.28	4.74	4.35	(–)0.39
7	इंदिरा आवास योजना	424.60	537.85	540.19	2.34
8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	132.40	71.39	44.72	(–)26.67
9	कन्या शिक्षा परिसर	1.24	6.52	6.55	0.03
10	निःशुल्क पाठय पुस्तकों का प्रदाय	19.40	61.55	61.59	0.04
11	छात्राओं के लिए शाला गणवेश	30.00	48.28	48.23	(–)0.05
12	नर्सिंग पाठ्य क्रम	11.70	8.93	8.92	(–)0.01
13	छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संस्थाएं	0.85	3.33	3.32	(–)0.01
14	अंध, मूक एवं बधिरों के लिए स्कूल एवं संस्थाएं	2.87	9.34	9.38	0.04
15	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	49.75	51.45	47.78	(–)3.67
16	नया गैस कनेक्शन के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता	0.25	0.25	0.08	(–)0.17
17	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	13.00	11.11	11.04	(–)0.07
18	दिशा दर्शन	1.25	0.87	1.14	0.27
19	स्वैच्छिक महिला कल्याण संस्थान को सहायता अनुदान	0.15	0.01	0.01	0.00
20	आयुष्मति योजना	1.25	0.19	0.19	0.00
21	महिला जागृति शिविर	3.60	1.46	2.45	0.99
22	किशोरी शक्ति योजना	1.45	0.99	0.97	(–)0.02
23	सबला योजना	83.94	80.89	79.49	(–)1.40
24	मूल नर्सिंग शिक्षा कार्यक्रम द्वारा लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	11.47	17.79	11.43	(–)6.36
योग		**927.49**	**951.81**	**900.29**	

परिशिष्ट– 2.1(अ)

(संदर्भ: कंडिका–2.4.1; पृष्ठ–47)

विवरण जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹करोड़ में)

संकं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
अ–राजस्व दतमत					
1	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	544.44	176.70	32.46
2	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	344.32	112.34	32.63
3	17	सहकारिता	114.92	36.99	32.19
4	18	श्रम	114.93	60.55	52.68
5	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	112.14	44.96	40.09
6	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	740.88	308.45	41.63
7	28	राज्य विधान मंडल	39.43	10.72	27.19
8	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	300.41	86.33	28.73
9	30	पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	2,248.03	748.51	33.30
10	36	परिवहन	46.83	17.13	36.58
11	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2,174.70	665.56	30.60
12	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	8,304.36	2,393.70	28.82
13	43	खेल एवं युवा कल्याण	58.21	43.23	74.27
14	44	उच्च शिक्षा	568.30	186.97	32.90
15	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	286.00	108.35	37.88
16	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	818.23	229.20	28.01
17	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	434.16	116.51	26.84
18	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	3,012.09	932.09	30.94
19	65	विमानन विभाग	22.63	10.43	46.09
20	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	204.48	48.05	23.50
21	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	647.77	454.03	70.09
22	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	145.69	77.29	53.05
योग अ			**21,282.95**	**6,868.09**	
ब– पूंजीगत दतमत					
23	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	68.90	59.60	86.50
24	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	255.00	152.50	59.80
25	13	कृषि	15.20	15.20	100.00
26	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	59.60	55.61	93.31
27	17	सहकारिता	28.90	11.10	38.41
28	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	58.51	20.42	34.90
29	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	347.05	209.40	60.34
30	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	265.81	227.78	85.69
31	27	स्कूल शिक्षा	45.13	30.39	67.34
32	30	पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	763.55	203.50	26.65
33	37	पर्यटन	18.00	11.50	63.89

1	2	3	4	5	6
34	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	56.40	46.31	82.11
35	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	63.80	40.94	64.17
36	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1,948.85	808.73	41.50
37	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	68.60	36.47	53.16
38	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	51.62	25.28	48.97
39	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	859.70	218.11	25.37
40	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	231.75	46.83	20.21
41	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	153.83	53.25	34.62
42	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	300.00	281.24	93.75
43	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	41.00	10.15	24.76
योग ब			**5,701.20**	**2,564.31**	
स– राजस्व भारित					
44	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	41.32	13.02	31.51
योग स			**41.32**	**13.02**	
कुल योग (अ+ब+स)			**27,025.47**	**9,445.42**	

परिशिष्ट 2.1 (ब)
(संदर्भ: कंडिका–2.4.1; पृष्ठ–48)
वर्ष 2014–15 के दौरान सारभूत बचतें (20 करोड़ एवं उससे अधिक) का उप–शीर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

सं.क्रं	मुख्य शीर्ष	योजनाओं का नाम	बचत	कारण
06–वित्त विभाग से संबंधित व्यय				
1	2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	अवकाश उपदान	29.39	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार क्लयाण				
2	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना	125.71	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
3		राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा योजना	30.06	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
4	2215–जलपूर्ति तथा सफाई	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना	24.27	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
24–लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल				
5	3054–सड़क तथा सेतु	नवीनीकरण	52.03	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
6		मुख्य शीर्ष 2059–लोक निर्माण	85.70	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
7		केंद्रीय सड़क निधि	32.00	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
8	5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	नाबार्ड ऋण सहायता से ग्रामीण सड़क निर्माण	48.23	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
9		न्युनतम सेवा के आधार से ग्रामीण सड़क निर्माण	27.91	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
30–पंचायत तथा ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय				
10	5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना	32.80	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
11		मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना	23.39	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय				
12	2408–खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार	मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना	598.90	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
13		मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना	20.94	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
14	6408–खाद्य, भाण्डागार तथा भण्डागार के लिए ऋण	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	35.47	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
15	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	27.56	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
16	2215–जलपूर्ति तथा सफाई	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना	48.69	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
17	2408–खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार	मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना	532.00	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
18		अन्तदया अन्न योजना के अधीन ग्राम वितरण	170.03	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
19		मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना	42.67	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
20	5054–सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	31.56	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
21		मुख्यमंत्री गौरव एवं पथ योजना	34.10	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)

सं.क्रं	मुख्य शीर्ष	योजनाओं का नाम	बचत	कारण
42–खेल एवं युवा कल्याण				
22	5054–सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	वृहद सेतुओं का निर्माण	23.22	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
23		न्युनतम आवश्यक योजना	50.62	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
48–तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान				
24	4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय	तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	39.47	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
64–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
25	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	43.62	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
26	2408–खाद्य, भण्डागार	*मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना*	268.00	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
67–लोक निर्माण कार्य–भवन				
27	2216–आवास	मुख्य शीर्ष 2059–लोक निर्माण	24.64	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
76–लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
28	5054–सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट फेज–II	60.65	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
29		छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट फेज–II	110.25	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
30		छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट फेज–II	110.34	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)
82–अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
31	2202–सामान्य शिक्षा	शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मुलभुत न्युनतम सेवाओं के लिये	34.29	सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015)

परिशिष्ट– 2.2

(संदर्भ: कंडिका–2.4.4; पृष्ठ–49)

अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का विवरण जहाँ प्रावधान में अतिरिक्त व्यय, ₹ 10 करोड़ से ज्यादा था।

(₹ करोड़ में)

सं.कं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
1	2	3	4	5	6
1	लोक ऋण	6003–110–779–कमियो की पूर्ति के लिए अग्रिम	285.00	392.24	107.24
2	03–पुलिस	2055–104–0701–केंद्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7307–विशिष्ट अधोसंरचना योजना	5.52	21.27	15.75
3		2055–109–4491–सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1,164.32	1,176.60	12.28
4	06–वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2071–01–101–2413–सेवानिवृत वेतनभोगीयों को देय	1,450.00	2,003.51	553.51
5		2071–01–105–2514–परिवार पेंशन	410.56	608.97	198.41
6	13–कृषि	2401–001–119–अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अगला)	175.91	190.06	14.15
7		2401–109–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 8541–धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन।	4.73	17.50	12.77
8	15–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202–02–789–196–0103–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 8403–शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्युनतम सेवाओं के लिए	19.96	34.62	14.66
9	30–पंचायत तथा ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	2505–60–196–0701–केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 6728–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।	796.67	851.67	55.00
10	33–आदिम जाति कल्याण	2202–02–109–3492–माध्यमिक शालाएं	548.00	581.38	33.38
11		2202–02–109–583–उच्चतर माध्यमिक शालाएं	157.24	196.10	38.86
12	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2202–02–796–109–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 583–उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	36.05	47.15	11.10
13		2505–60–796–0702–केंद्रीय प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6728–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	605.47	647.27	41.80

1	2	3	4	5	6
14	48–तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	4216–01–106–1302–वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7416–तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	20.40	59.87	39.47
15	49–अनुसूचित जाति का कल्याण	2202–02–109–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 3673–राज्य छात्रवृत्तियां	25.68	37.41	11.73
16	64–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5054–04–789–337–0803–केंद्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 4855–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।	32.49	45.16	12.67
17		5054–04–789–337–0103–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 9002–अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सड़कों का निर्माण	163.00	173.28	10.28
18	71–सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	3275–800–0701–केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 6818–स्वान परियोजना	3.09	16.10	13.01
19	82–अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202–01–796–197–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8403–शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	523.71	540.79	17.08
योग			**6,427.80**	**7,640.95**	**1,213.15**

परिशिष्ट–2.3

(संदर्भ: कंडिका–2.4.5; पृष्ठ–50)

प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान के ₹ 10 करोड़ या उससे ज्यादा अनुपयोगी रहे

(₹ करोड़ में)

सं.कं	अनुदान संख्या	अनुदानों/विनियोगों का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान	अप्रयुक्त प्रावधान
1	2	3	4	5	7
1		लोक ऋण	6003–110–637–उपाय तथा साधन अग्रिम	142.50	142.50
2	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029–797–6754–अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण	125.40	125.40
3	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2810–02–102–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 8670–सोलर लेम्प/सोलर स्टडी लेम्प का नि:शुल्क प्रदाय	25.00	25.00
4			6801–190–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 7498–पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कम्पनी	125.00	125.00
5	13	कृषि	6401–105–0101– राज्य आयोजना (सामान्य) 7283–छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता	15.00	15.00
6	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	4403–109–0311–नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य) 7403–पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय	50.00	50.00
7	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210–01–200–0701–केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य 7463–कैन्सर, मधुमेह, ह्रदयरोग एवं आघात रोगों की रोकथाम	13.10	13.10
8			2210–01–200–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 8649–मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	21.00	21.00
9	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2210–01–796–200–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8649– मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	16.00	16.00
10			2401–796–110–0102– अनुसूचित जनजाति उपयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)	19.00	19.00
11			4202–01–796–202–1002– अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 1400–	35.00	35.00
12			4215–01–796–102–0312–नाबार्ड सहायित परियोजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5403–ग्रामीण पाईप जल प्रदाय योजना	15.00	15.00
13			6401–796–105–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7283–छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु ऋण	11.40	11.40
14			6408–02–796–190–0312–नाबार्ड प्रवर्तित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8545–नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	19.00	19.00
15			6801–796–190–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7498–पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कम्पनी	95.00	95.00
16	43	खेल एवं युवा कल्याण	2204–103–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 8923–मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना	10.00	10.00

1	2	3	4	5	6
17	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245–01–800–1467– जिला एवं अन्य सड़कें	20.00	20.00
18			2245–01–800–3819– लघु सिंचाई (कृषि)	12.00	12.00
19			2245–05–101–4849–राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण	30.00	30.00
20	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2217–80–789–191–1003–अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6741–नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन	50.00	50.00
21			2217–80–789–191–0703–केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8630–राजीव आवास योजना	50.00	50.00
22			6801–789–190–0103–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 7498–पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पाद/वितरण कम्पनी	30.00	30.00
23	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	2202–02–109–0801–केंद्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 2675–पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	15.69	15.69
24			2225–04–277–0701– केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6938–अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति	10.00	10.00
योग				**955.09**	**955.09**

परिशिष्ट–2.4

(संदर्भः कंडिका–2.4.6; पृष्ठ 50)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

सं. क्रं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक अनुदान
1	2	3	4	5	6	7
अ–राजस्व दत्तमत्त						
1	1	सामान्य प्रशासन	153.12	139.53	13.59	12.37
2	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	18.35	14.71	3.64	3.05
3	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	181.36	165.49	15.87	5.94
4	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	537.65	367.74	169.91	6.79
5	10	वन	774.69	727.38	47.31	10.34
6	13	कृषि	1,932.88	1,760.42	172.46	31.81
7	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	307.31	258.27	49.04	12.17
8	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	317.36	231.98	85.38	26.96
9	16	मछली पालन	41.34	41.29	0.05	4.37
10	17	सहकारिता	110.37	77.93	32.44	4.55
11	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,193.00	997.37	195.63	45.50
12	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	440.37	378.52	61.85	28.18
13	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	107.96	67.18	40.78	4.18
14	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	608.13	432.43	175.70	132.75
15	27	स्कूल शिक्षा	3,091.04	2,551.20	539.84	34.73
16	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	299.07	214.08	84.99	1.34
17	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2,141.34	1,499.51	641.83	106.69
18	36	परिवहन	45.73	29.70	16.03	1.10
19	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2,173.50	1,509.14	664.34	1.20
20	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7,855.39	5,910.66	1,944.73	448.96
21	44	उच्च शिक्षा	514.60	381.33	133.27	53.70
22	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	57.72	53.98	3.74	3.66
23	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	219.94	177.66	42.28	66.06
24	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	493.27	424.26	69.01	11.68
25	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	21.30	17.71	3.59	2.21
26	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	772.36	589.03	183.33	45.87
27	56	ग्रामोद्योग	73.49	62.05	11.44	2.47

1	2	3	4	5	6	7
28	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	432.86	317.65	115.21	1.30
29	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2,840.07	2,080.00	760.07	172.01
30	65	विमानन विभाग	21.13	12.20	8.93	1.50
31	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	184.74	156.42	28.32	19.73
32	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	416.09	375.47	40.62	31.33
33	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	95.32	68.40	26.92	50.37
34	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	356.80	293.19	63.61	4.50
35	80	त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,516.40	3,200.78	315.62	205.46
36	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,384.68	1,221.35	163.33	93.68
37	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,058.98	1,784.67	274.31	89.86
योग अ			**35,789.71**	**28,590.68**	**7,199.01**	**1,778.37**
ब–पूंजीगत दत्तमत्त						
38	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	55.40	9.30	46.10	13.50
39	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	130.00	102.50	27.50	125.00
40	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	44.51	38.09	6.42	14.00
41	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	336.05	137.65	198.40	11.00
42	23	जल संसाधन विभाग	392.25	369.57	22.68	16.00
43	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	1,081.19	1,009.28	71.91	6.10
44	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	656.05	560.05	96.00	107.50
45	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1,714.65	1,140.12	574.53	234.20
46	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	790.00	641.59	148.41	69.70
47	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	362.34	316.70	45.64	11.16
48	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	230.25	184.93	45.32	1.50
49	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	138.83	100.58	38.25	15.00
50	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	39.50	30.85	8.65	1.50
योग ब			**5,971.02**	**4,641.21**	**1,329.81**	**626.16**
महायोग (अ+ब)			**41,760.73**	**33,231.89**	**8,528.82**	**2,404.53**

परिशिष्ट–2.5

(संदर्भ: कंडिका–2.4.6; पृष्ठ–50)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान आधिक्य साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

सं.क्रं.	अनुदान संख्या	अनुदानों/विनियोगों के नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6	7
अ–राजस्व दत्तमत्त						
1	03	पुलिस	2,207.38	176.21	2,298.86	84.73
2	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	292.67	232.13	498.12	26.68
3	32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	88.75	4.50	89.59	3.66
योग अ			**2,588.80**	**412.84**	**2,886.57**	**115.07**
ब–पूंजीगत दत्तमत्त						
4	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	326.77	32.76	329.64	29.89
5	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	8.62	14.24	17.80	5.06
6	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	123.50	50.00	168.80	4.70
योग ब			**458.89**	**97.00**	**516.24**	**39.65**
योग (अ+ब)			**3,047.69**	**509.84**	**3,402.81**	**154.72**

परिशिष्ट–2.6
(संदर्भ: कंडिका–2.4.7; पृष्ठ 50)
निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन
(जहाँ आधिक्य/बचत ₹10 करोड़ से अधिक है)

(₹ करोड़ में)

सं. क्रं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (–)
1	2	3	4	5	6
1	लोक ऋण	6003–110–779–कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	142.50	142.50	(–) 107.24
2	03–पुलिस	2055–104–0801– केंद्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 7307–विशेष अधोसंरचना	20.00	(–) 3.13	(–) 15.77
3		2055–109–4491–सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1,157.55	6.77	(–) 12.28
4	10–वन	2406–01–101–3877–क्षेत्रीय वन मंडल	301.37	0.440	(–) 16.48
5		2406–01–203–5641–वन प्रबंधन समितियां	30.00	2.40	(–) 12.16
6	13–कृषि	2401–001–119–अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला)	179.16	(–) 3.25	(–) 14.15
7		2401–109–0701– केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7269–एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन	0.00	24.44	(–) 15.90
8		2401–109–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 8541–धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन	5.00	(–) 0.27	(–) 12.78
9	15–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202–02–789–196–0103–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 8403–शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	31.00	(–) 11.04	(+) 14.66
10	30–पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2515–101–2474–पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	80.75	(–) 27.62	(–) 14.43
11		5054–04–337–0311–नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य) 8650–मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	225.00	(–) 76.00	(–) 32.80
12		5054–04–337–0311– नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य) 7475– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	252.50	48.50	(–) 23.39

1	2	3	4	5	6
13	33–आदिम जाति कल्याण	2202–02–109–3492–माध्यमिक शालाएं	550.00	(–) 2.00	(+) 33.38
14		2202–02–109–583–उच्चतर माध्यमिक शालाएं	155.20	2.04	(+) 38.86
15		2202–01–101–495–आश्रम एवं शालाएं	65.30	4.66	(–) 10.26
16		2202–02–109–1395–छात्रावास	85.47	2.86	(–) 13.12
17	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2202–02–796–109–0102– अनुसूचित जनजाति उपयोजना 583–उच्चतर माध्यमिक शालाएं	48.79	(–) 12.74	(+) 11.09
18		2501–06–796–102–0702–केंद्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7490–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	67.03	(–) 29.86	(–) 19.67
19		2505–60–796–196–0702– केंद्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6728–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	1,045.00	(–) 439.53	(–) 41.80
20		5054–04–796–337–0802– केंद्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 4855–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	190.00	(–) 87.11	(–) 12.67
21		5054–04–796–337–0312–नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7475–मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजनायें	188.20	(–) 45.58	(–) 31.56
22		5054–04–796–337–0312– नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8650– मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	171.00	(–) 38.21	(–) 34.10
23	42–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	5054–03–796–101–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 4149–वृहद पुलों का निर्माण	128.00	(–) 29.00	(–) 23.22
24		5054–04–796–337–0102– अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2457–न्युनतम आवश्यक कार्यक्रम	80.00	(–) 1.00	(–) 50.62
25	49–अनुसूचित जाति कल्याण	2202–02–109–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 3673–राज्य छात्रवृत्तियाँ	42.00	(–) 16.32	(+) 11.72
26	64–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2505–60–789–196–0703–केंद्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना 6728–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	330.00	(–) 138.80	(–) 13.20
27		4700–02–789–800–0103–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 2898–बांध तथा संलग्न कार्य	50.10	(–) 30.16	(–) 10.00
28		4702–789–102–0103– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 5059–एनिकट/स्टापडेम का निर्माण	51.00	8.79	(–) 10.00
29		5054–04–789–337–0803– केंद्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 4855– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	60.00	(–) 27.51	(+) 12.67

1	2	3	4	5	6
30	66–पिछड़ा वर्ग कल्याण	2202–02–109–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 3673–राज्य छात्रवृत्तियाँ	53.00	(–) 1.24	(–) 11.18
31	82–अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202–01–796–197–0702– केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5169–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	145.00	(–) 22.49	(–) 14.77
32		2202–02–796–197–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8403–शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	200.00	(–) 4.87	(–) 34.29
33		2202–01–796–197–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8403–शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	535.00	(–) 11.29	(+) 17.08

परिशिष्ट–2.7

(संदर्भ: कंडिका–2.4.8; पृष्ठ–50)

वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

(प्रकरण जिसमें समर्पित राशि ₹ 50 लाख अथवा अधिक है)

(₹ करोड़ में)

सं. क्रं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	अधिक समर्पित राशि
अ–राजस्व दत्तमत्त						
1	03	पुलिस	2,383.59	84.74	92.57	7.83
2	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	187.30	21.81	31.29	9.48
3	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	344.32	112.34	130.35	18.01
4	16	मछली पालन	45.71	4.41	5.59	1.18
5	23	जल संसाधन विभाग	409.75	41.63	43.07	1.44
6	27	स्कूल शिक्षा	3,125.77	574.58	579.84	5.26
7	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2,248.03	748.51	805.63	57.12
8	34	समाज कल्याण	68.06	1.35	10.94	9.59
9	43	खेल एवं युवा कल्याण	58.21	43.23	44.69	1.46
10	49	अनुसूचित जाति कल्याण	96.52	10.59	21.40	10.81
11	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	818.23	229.20	231.41	2.21
12	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	434.16	116.51	140.18	23.67
13	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	145.69	77.29	77.79	0.50
योग अ			**10,365.34**	**2,066.19**	**2,214.75**	**148.56**
ब–पूंजीगत दत्तमत्त						
14	23	जल संसाधन विभाग	408.25	38.69	40.21	1.52
योग ब			**408.25**	**38.69**	**40.21**	**1.52**
योग (अ+ब)			**10,773.59**	**2,104.88**	**2,254.96**	**150.08**

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कंडिका–2.4.9; पृष्ठ–50)

(वास्तविक बचत से अधिक समर्पण)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्र जहाँ बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) हुई है, परन्तु उसके किसी भी अंश का समर्पण नहीं किया गया है

(₹ करोड़ में)

सं.क्रं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
अ–राजस्व दत्तमत्त			
1	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	241.13
2	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	308.45
3	36	परिवहन	17.13
4	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	665.56
योग–अ			**1,232.27**
ब–पूंजीगत दत्तमत्त			
5	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20.42
6	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	78.01
7	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	46.31
8	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	81.59
9	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	46.83
10	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	281.24
11	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	10.15
योग–ब			**564.55**
योग (अ+ब)			**1,796.82**

परिशिष्ट–2.9
(संदर्भ: कंडिका–2.4.9; पृष्ठ–51)
₹ एक करोड़ एवं अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों के विवरण

(₹ करोड़ में)

सं. कं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	समर्पण	बचत जिसका समर्पण नहीं किया गया
1	2	3	4	6	7
अ–राजस्व दत्तमत्त					
1	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	176.70	166.15	10.55
2	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	6.44	4.46	1.98
3	10	वन	57.65	18.02	39.63
4	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	26.69	25.00	1.69
5	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	90.03	25.14	64.89
6	28	राज्य विधान मंडल	10.72	0.23	10.49
7	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	86.34	81.54	4.80
8	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	8.04	2.89	5.15
9	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,393.70	1,385.04	1,008.66
10	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	7.41	5.89	1.52
11	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	108.35	71.57	36.78
12	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	80.68	55.86	24.82
13	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	932.09	562.85	369.24
14	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	48.05	36.37	11.68
15	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	71.96	0.003	71.95
16	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	68.11	31.03	37.08
17	80	त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	521.08	519.13	1.95
18	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	257.01	221.45	35.56
19	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	364.17	324.14	40.03
योग–अ			**5,315.22**	**3,536.76**	**1,778.45**
ब–पूंजीगत दत्तमत्त					
20	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	59.60	43.20	16.40
21	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	203.50	147.18	56.32
22	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	808.73	687.20	121.53
23	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	95.39	88.99	6.40
24	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	36.47	19.62	16.85
25	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	29.89	6.36	23.53
26	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	218.11	197.14	20.97
27	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	5.06	0.73	4.33
28	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	56.81	0.07	56.74
योग–ब			**1,513.56**	**1,190.49**	**323.07**
स–राजस्व भारित					
29	01	सामान्य प्रशासन	3.72	1.72	2.00
योग–स			**3.72**	**1.72**	**2.00**
योग (अ+ब+स)			**6,832.50**	**4,728.97**	**2,103.52**

परिशिष्ट–2.10
(संदर्भ: कंडिका–2.4.9; पृष्ठ–51)
31 मार्च 2015 की स्थिति में ₹ 10 करोड़ से अधिक के निधियों के समर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

सं. कं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	समर्पण	कुल प्रावधान का प्रतिशत
अ–राजस्व दत्तमत					
1	01	सामान्य प्रशासन	165.49	25.36	15.32
2	03	पुलिस	2,383.59	92.57	3.88
3	05	जेल	101.89	14.90	14.62
4	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2,632.72	45.08	1.71
5	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	187.30	31.29	16.71
6	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	544.44	166.15	30.52
7	10	वन	785.03	18.02	2.30
8	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	109.61	15.77	14.39
9	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	524.80	25.00	4.76
10	13	कृषि	1,964.69	203.82	10.37
11	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	319.48	61.23	19.17
12	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	344.32	130.35	37.86
13	17	सहकारिता	114.92	37.00	32.20
14	18	श्रम	114.93	60.43	52.58
15	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	468.55	25.14	5.37
16	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	112.14	44.95	40.08
17	23	जल संसाधन विभाग	409.75	43.07	10.51
18	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	304.75	43.07	14.13
19	27	स्कूल शिक्षा	3,125.77	579.84	18.55
20	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	300.41	81.54	27.14
21	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2,248.03	805.63	35.84
22	34	समाज कल्याण	68.06	10.94	16.07
23	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	8,304.36	1385.04	16.68
24	43	खेल एवं युवा कल्याण	58.21	44.69	76.77
25	44	उच्च शिक्षा	568.30	186.70	32.85
26	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	286.00	71.57	25.02
27	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	504.94	55.86	11.06
28	49	अनुसूचित जाति कल्याण	96.52	21.40	22.17
29	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	96.00	13.50	14.06
30	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	818.23	231.41	28.28
31	56	ग्रामोद्योग	75.96	13.77	18.13
32	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	434.16	140.18	32.29
33	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	3,012.09	562.85	18.69
34	65	विमानन विभाग	22.63	10.41	46.00

1	2	3	4	5	6
35	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	204.48	36.37	17.79
36	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	647.77	454.03	70.09
37	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्यागिकी	145.69	77.79	53.39
38	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	361.30	31.03	8.59
39	80	त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,721.86	519.13	13.95
40	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,478.36	221.45	14.98
41	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,148.84	324.14	15.08
योग–अ			**40,316.37**	**6,962.47**	
ब–पूंजीगत दत्तमत					
42	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	68.90	43.20	62.70
43	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	255.00	152.50	59.80
44	13	कृषि	15.20	15.20	100.00
45	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	59.60	55.61	93.31
46	17	सहकारिता	28.90	11.07	38.30
47	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	347.05	209.40	60.34
48	23	जल संसाधन विभाग	408.25	40.21	9.85
49	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	265.81	227.78	85.69
50	27	स्कूल शिक्षा	45.13	30.39	67.34
51	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	763.55	147.18	19.28
52	37	पर्यटन	18.00	11.50	63.89
53	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	63.80	40.94	64.17
54	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1,948.85	687.20	35.26
55	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	541.15	89.00	16.45
56	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	68.60	19.62	28.60
57	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	51.62	25.12	48.66
58	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	859.70	197.14	22.93
59	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनायें	153.83	53.18	34.57
योग–ब			**5,962.94**	**2,056.24**	
स–राजस्व भारित					
60	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	41.32	13.12	31.75
योग–स			**41.32**	**13.12**	
योग (अ+ब+स)			**46,320.63**	**9,031.83**	

परिशिष्ट–2.11
(संदर्भ: कंडिका–2.4.12; पृष्ठ–52)
विगत वर्षों के बजट प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण वांछित

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग संस्थाएं	अतिवेग
2000–01	11 अनुदान	2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 तथा 83	10.21
	2 विनियोग	6 तथा 24	
2001–02	14 अनुदान	6, 14, 15, 17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 तथा 83	115.90
	2 विनियोग	16 तथा 25	
2002–03	8 अनुदान	10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 तथा 82	114.59
	2 विनियोग	20 तथा 67	
2003–04	4 अनुदान	12, 33, 40 तथा 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज भुगतान तथा 6	
2004–05	4 अनुदान	15, 24, 67 तथा 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज भुगतान, लोक ऋण, 6, 10 तथा 42	
2005–06	4 अनुदान	4, 15, 24 तथा 39	23.27
	2 विनियोग	6 तथा 23	
2006–07	4 अनुदान	4, 24, 67 तथा 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007–08	3 अनुदान	23, 33 तथा 60	15.99
	3 विनियोग	13, 24 तथा 36	
2008–09	9 अनुदान	24, 40, 67, 80, 6, 23, 75, 76 तथा 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009–10	10 अनुदान	3, 6, 22, 23, 24, 25, 49, 64, 76 तथा 80	216.77
	5 विनियोग	3, 12, 13, 43 तथा 67	
2010–11	22 अनुदान	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 तथा ब्याज भुगतान	293.78
	6 विनियोग	1,20,23,29,36 तथा लोक ऋण	
2011–12	24 अनुदान	1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47,50,53,55,66,80,81 तथा 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012–13	2 अनुदान	40 तथा 45	0.96
	2 विनियोग	6 तथा 55	
2013–14	3 अनुदान	06, 12 तथा 60	178.96
	3 विनियोग	06, 14 तथा 27	
कुल योग			**2,313.39**

परिशिष्ट–2.12
(संदर्भ: कंडिका–2.4.13; पृष्ठ–52)

व्यय का अतिवेग

(₹ करोड़ में)

सं.क्रं.	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	जनवरी–मार्च 2015 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2015 में किया गया व्यय	निम्नलिखित का कुल व्यय से प्रतिशत	
					जनवरी से मार्च 2015	मार्च 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	2013	25.78	14.26	9.03	55.31	35.03
2	2045	206.14	201.52	200.39	97.76	97.21
3	2048	100.00	50.00	00	50.00	0.00
4	2202	65.79	42.95	32.39	65.28	49.23
5	2216	615.36	348.91	32.31	56.70	5.25
6	2225	184.01	123.44	95.56	67.08	51.93
7	2245	317.65	250.00	229.24	78.70	72.17
8	2250	7.21	5.69	2.44	78.92	33.84
9	2415	89.49	50.28	30.61	56.19	34.20
10	2425	117.13	91.71	86.59	78.30	73.92
11	2852	59.36	40.96	30.05	69.00	50.62
12	3275	76.41	50.04	50.04	65.49	65.49
13	3452	46.25	46.00	29.45	99.46	63.68
14	4055	37.38	35.22	17.31	94.22	46.31
15	4059	220.14	110.80	57.83	50.33	26.27
16	4202	261.25	139.63	100.70	53.45	38.55
17	4210	234.46	132.86	73.80	56.67	31.48
18	4215	31.55	27.22	19.52	86.28	61.87
19	4216	94.98	68.19	62.83	71.79	66.15
20	4225	215.82	181.81	164.84	84.24	76.38
21	4235	94.32	90.01	60.96	95.43	64.63
22	4403	9.63	5.53	2.05	57.42	21.29
23	4515	457.37	342.74	250.03	74.94	54.67
24	4700	470.78	262.13	61.09	55.68	12.98
25	4701	25.88	10.84	4.94	41.89	19.09
26	4705	22.86	16.25	10.04	71.08	43.92
27	4851	30.96	22.08	16.64	71.32	53.75
28	5425	5.90	4.10	2.90	69.49	49.15
29	5452	6.50	6.50	4.00	100.00	61.54
30	6075	10.00	5.00	5.00	50.00	50.00
31	6425	37.05	37.05	37.05	100.00	100.00
योग		**4,177.41**	**2,813.72**	**1,779.63**		

परिशिष्ट–2.13
(संदर्भ: कंडिका–2.6.6; पृष्ठ–56)
व्यय के अतिवेग का विस्तृत

(₹ लाख में)

लेखाओं के शीर्ष	व्यय	अंतिम तिमाही	मार्च
2047–103–2696–प्रचार	2.49	1.95 (78)	1.49 (60)
2054–003–5697–कोषालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	0.35	0.35 (100)	0.35 (100)
2054–095–8904–लेखा परीक्षा कक्षा का गठन	23.09	16.58 (72)	4.75 (21)
2071–01–106–600–न्यायालयों के निवृत न्यायधीशों के देयक (भारित)	30.16	18.51 (61)	8.38 (28)
2885–60–190–4843–अधोसंरचना विकास निगम	30.00	30.00 (100)	30.00 (100)

(स्रोतः–विनियोग लेखे 2014–15, बन्धनी में उल्लेखित संख्या कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है)

परिशिष्ट–3.1

(संदर्भः कंडिका 3.1 पृष्ठ 65)

31 मार्च 2015 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

सं. कं.	विभाग		अनुदान भुगतान का वर्ष	कुल अनुदान भुगतान		उपयोगिता प्रमाण पत्र			
	मुख्य शीर्ष	नाम				प्राप्त		अप्राप्त	
				संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2011	राज्य मंत्रीमंडल	2007–2008	29	129.84	29	129.84	0	0.00
			2008–2009	18	173.16	18	173.16	0	0.00
			2009–2010	19	103.93	19	103.93	0	0.00
			2010–2011	35	129.16	35	129.16	0	0.00
			2011–2012	38	154.78	38	154.78	0	0.00
			2012–2013	29	154.70	29	154.70	0	0.00
			2013–2014	40	193.61	40	193.61	0	0.00
2011 योग				**208**	**1,039.19**	**208**	**1,039.19**	**0**	**0.00**
2	2013	मंत्री–परिषद	2007–2008	322	1,699.97	322	1,699.97	0	0.00
			2008–2009	207	1,379.47	207	1,379.47	0	0.00
			2009–2010	303	1,168.56	303	1,168.56	0	0.00
			2010–2011	348	1,319.13	348	1,319.13	0	0.00
			2011–2012	224	754.13	224	754.13	0	0.00
			2012–2013	259	711.04	259	711.04	0	0.00
			2013–2014	129	1,468.11	129	1,468.11	0	0.00
2013 योग				**1792**	**8,500.41**	**1792**	**8,500.41**	**0**	**0.00**
3	2014	न्याय प्रशासन	2007–2008	10	224.40	10	224.40	**0**	0.00
			2008–2009	7	247.95	7	247.95	**0**	0.00
			2009–2010	2	200.00	2	200.00	**0**	0.00
			2010–2011	2	200.00	2	200.00	**0**	0.00
			2011–2012	2	200.00	2	200.00	**0**	0.00
			2012–2013	6	900.04	6	900.04	**0**	0.00
			2013–2014	10	854.14	10	854.14	**0**	0.00
2014 योग				**39**	**2,826.53**	**39**	**2,826.53**	**0**	**0.00**
4	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	2011–2012	2	75.00	2	75.00	**0**	0.00
			2012–2013	7	272.55	7	272.55	**0**	0.00
			2013–2014	3	187.00	3	187.00	**0**	0.00
2052 योग				**12**	**534.55**	**12**	**534.55**	**0**	**0.00**
5	2053	जिला प्रशासन	2013–14	8	22.00	8	22.00	**0**	0.00
2053 योग				**8**	**22.00**	**8**	**22.00**	**0**	**0.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2055	पुलिस	2007–2008	5	191.00	5	191.00	0	0.00
			2008–2009	2	175.00	2	175.00	0	0.00
			2009–2010	4	109.00	4	109.00	0	0.00
			2010–2011	1	65.00	1	65.00	0	0.00
			2011–2012	2	278.00	2	278.00	0	0.00
			2012–2013	111	4,240.09	111	4,240.09	0	0.00
			2013–2014	103	9,390.09	103	9,390.09	0	0.00
2055 योग				**228**	**14,448.18**	**228**	**14,448.18**	**0**	**0.00**
7	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2012–2013	50	26.95	50	26.95	0	0.00
			2013–2014	128	32.35	128	32.35	0	0.00
2070 योग				**178**	**59.30**	**178**	**59.30**	**0**	**0.00**
8	2075	विविध सामान्य सेवाएं	2012–2013	5	6.33	5	6.33	0	0.00
			2013–2014	7	13.37	7	13.37	0	0.00
2075 योग				**12**	**19.70**	**12**	**19.70**	**0**	**0.00**
9	2202	सामान्य शिक्षा	2007–2008	1993	39,720.56	1993	39,720.56	0	0.00
			2008–2009	3517	43,154.46	3517	43,154.46	0	0.00
			2009–2010	2561	54,960.96	2561	54,960.96	0	0.00
			2010–2011	3034	84,452.99	3034	84,452.99	0	0.00
			2011–2012	3014	1,10,196.23	3014	1,10,196.23	0	0.00
			2012–2013	6184	1,69,722.47	6184	1,69,722.47	0	0.00
			2013–2014	11528	2,87,162.00	11528	2,87,162.00	0	0.00
2202 योग				**31831**	**7,89,369.67**	**31831**	**7,89,369.67**	**0**	**0.00**
10	2203	तकनीकी शिक्षा	2007–2008	6	169.00	6	169.00	0	0.00
			2008–2009	4	250.48	4	250.48	0	0.00
			2009–2010	3	120.00	3	120.00	0	0.00
			2010–2011	2	120.00	2	120.00	0	0.00
			2011–2012	2	120.00	2	120.00	0	0.00
			2012–2013	4	509.81	4	509.81	0	0.00
			2013–2014	4	367.19	4	367.19	0	0.00
2203 योग				**25**	**1,656.48**	**25**	**1,656.48**	**0**	**0.00**
11	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	2007–2008	135	84.73	135	84.73	0	0.00
			2008–2009	128	132.45	128	132.45	0	0.00
			2009–2010	146	126.31	146	126.31	0	0.00
			2010–2011	139	345.15	139	345.15	0	0.00
			2011–2012	116	177.69	116	177.69	0	0.00
			2012–2013	256	5,583.21	256	5,583.21	0	0.00
			2013–2014	399	1,102.32	399	1,102.32	0	0.00
2204 योग				**1319**	**7,551.87**	**1319**	**7,551.87**	**0**	**0.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	2205	कला एवं संस्कृति	2007–2008	69	53.77	69	53.77	0	0.00
			2008–2009	92	85.72	92	85.72	0	0.00
			2009–2010	66	64.86	66	64.86	0	0.00
			2010–2011	111	65.24	111	65.24	0	0.00
			2011–2012	114	96.88	114	96.88	0	0.00
			2012–2013	68	173.12	68	173.12	0	0.00
			2013–2014	131	241.12	131	241.12	0	0.00
2205 योग				**651**	**780.71**	**651**	**780.71**	**0**	**0.00**
13	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2007–2008	111	1,702.93	111	1,702.93	0	0.00
			2008–2009	117	4427.29	117	4,427.29	0	0.00
			2009–2010	134	9,366.43	134	9,366.43	0	0.00
			2010–2011	116	7,029.62	116	7,029.62	0	0.00
			2011–2012	136	15,369.22	136	15,369.22	0	0.00
			2012–2013	603	23,287.56	603	23,287.56	0	0.00
			2013–2014	504	31,744.81	504	31,744.81	0	0.00
2210 योग				**1721**	**92,927.85**	**1721**	**92,927.85**	**0**	**0.00**
14	2215	जलपूर्ति तथा सफाई	2007–2008	109	5,681.41	109	5,681.41	0	0.00
			2008–2009	109	7,335.45	109	7,335.45	0	0.00
			2009–2010	131	6,081.54	131	6,081.54	0	0.00
			2010–2011	60	4,910.20	60	4,910.20	0	0.00
			2011–2012	60	5843.70	60	5843.70	0	0.00
			2012–2013	68	5621.05	68	5621.05	0	0.00
			2013–2014	102	5591.67	102	5591.67	0	0.00
2215 योग				**639**	**41,065.02**	**639**	**41,065.02**	**0**	**0.00**
15	2216	आवास	2007–2008	45	478.79	45	478.79	0	0.00
			2008–2009	47	1,938.56	47	1,938.56	0	0.00
			2009–2010	51	2,357.72	51	2,357.72	0	0.00
			2010–2011	39	844.98	39	844.98	0	0.00
			2011–2012	73	2,448.04	73	2,448.04	0	0.00
			2012–2013	122	4,157.70	122	4,157.70	0	0.00
			2013–2014	346	18,299.24	346	18,299.24	0	0.00
2216 योग				**723**	**30,525.01**	**723**	**30,525.01**	**0**	**0.00**
16	2217	शहरी विकास	2007–2008	66	19,142.50	63	17,784.04	3	1,358.46
			2008–2009	107	22,562.21	106	21,682.21	1	880.00
			2009–2010	63	35,465.65	61	32,825.65	2	2,640.00
			2010–2011	139	30,136.95	0	0.00	139	30,136.95
			2011–2012	116	40,336.77	0	0.00	116	40,336.77
			2012–2013	157	70,254.52	13	12,110.68	144	58,143.84
			2013–2014	152	80,597.52	0	0.00	152	80,597.52
			2014–2015	110	34,192.41	0	0.00	110	34,192.41
2217 योग				**910**	**3,32,688.52**	**243**	**84,402.58**	**667**	**24,8285.94**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	2220	सूचना तथा प्रचार	2007–2008	5	6.47	5	6.47	0	0.00
			2008–2009	12	10.05	12	10.05	0	0.00
			2009–2010	7	12.80	7	12.80	0	0.00
			2010–2011	14	25.88	14	25.88	0	0.00
			2011–2012	12	14.22	12	14.22	0	0.00
			2012–2013	12	11.30	12	11.30	0	0.00
			2013–2014	11	19.18	11	19.18	0	0.00
2220 योग				**73**	**99.90**	**73**	**99.90**	**0**	**0.00**
18	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	2007–2008	269	3,829.56	269	3,829.56	0	0.00
			2008–2009	228	4,466.95	228	4,466.95	0	0.00
			2009–2010	241	3,492.08	241	3,492.08	0	0.00
			2010–2011	212	3,255.30	212	3,255.30	0	0.00
			2011–2012	359	5,087.83	359	5,087.83	0	0.00
			2012–2013	1936	26,097.03	1936	26,097.03	0	0.00
			2013–2014	2024	24,996.06	2024	24,996.06	0	0.00
2225 योग				**5269**	**71,224.81**	**5269**	**71,224.81**	**0**	**0.00**
19	2230	श्रम तथा रोजगार	2010–2011	1	45.00	1	45.00	0	0.00
			2011–2012	10	315.01	10	315.01	0	0.00
			2012–2013	107	1,019.81	107	1,019.81	0	0.00
			2013–2014	207	2,433.09	207	2,433.09	0	0.00
2230 योग				**325**	**3,812.92**	**325**	**3,812.92**	**0**	**0.00**
20	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2007–2008	455	3,357.49	455	3,357.49	0	0.00
			2008–2009	480	16,443.60	480	16,443.60	0	0.00
			2009–2010	521	4,808.51	521	4,808.51	0	0.00
			2010–2011	868	6,843.96	868	6,843.96	0	0.00
			2011–2012	1216	6,515.63	1216	6,515.63	0	0.00
			2012–2013	3054	23,670.11	3054	23,670.11	0	0.00
			2013–2014	7958	58621.67	7958	58,621.67	0	0.00
2235 योग				**14552**	**1,20,260.98**	**14552**	**1,20,260.98**	**0**	**0.00**
21	2236	पोषण	2013–2014	2	5.10	2	5.10	0	0.00
2236 योग				**2**	**5.10**	**2**	**5.10**	**0**	**0.00**
22	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2007–2008	22	9.21	22	9.21	0	0.00
			2009–2010	13	9.92	13	9.92	0	0.00
			2010–2011	6	8.05	6	8.05	0	0.00
			2012–2013	618	1,066.84	26	54.02	592	1,012.82
			2013–2014	2960	5,582.58	12	60.92	2948	5,521.67
			2014–2015	2906	6,124.38	0	0.00	2906	6,124.38
2245 योग				**6525**	**12,800.98**	**79**	**142.11**	**6446**	**12,658.87**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	2007–2008	1	5.25	1	5.25	0	0.00
			2009–2010	4	264.75	4	264.75	0	0.00
			2010–2011	5	276.00	5	276.00	0	0.00
			2011–2012	6	370.75	6	370.75	0	0.00
			2012–2013	18	510.56	18	510.56	0	0.00
			2013–2014	43	506.18	43	506.18	0	0.00
2250 योग				**77**	**1,933.49**	**77**	**1,933.49**	**0**	**0.00**
24	2251	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2012–2013	9	5.28	9	5.28	0	0.00
2251 योग				**9**	**5.28**	**9**	**5.28**	**0**	**0.00**
25	2401	फसल कृषि–कर्म	2007–2008	94	2,374.60	94	2,374.60	0	0.00
			2008–2009	178	6,381.09	178	6,381.09	0	0.00
			2009–2010	236	4,644.08	236	4,644.08	0	0.00
			2010–2011	383	15,318.99	383	15,318.99	0	0.00
			2011–2012	582	12,143.59	582	12,143.59	0	0.00
			2012–2013	4541	47,069.31	4541	47,069.31	0	0.00
			2013–2014	1093	13,748.54	1093	13,748.54	0	0.00
2401 योग				**7107**	**1,01,680.20**	**7107**	**1,01,680.20**	**0**	**0.00**
26	2402	मृदा तथा जल संरक्षण	2012–2013	4	6.16	4	6.16	0	0.00
			2013–2014	1	3.71	1	3.71	0	0.00
2402 योग				**5**	**9.87**	**5**	**9.87**	**0**	**0.00**
27	2403	पशुपालन	2007–2008	155	1,862.60	155	1,862.60	0	0.00
			2008–2009	165	1,679.14	165	1,679.14	0	0.00
			2009–2010	146	3,781.64	146	3,781.64	0	0.00
			2010–2011	182	5,090.72	182	5,090.72	0	0.00
			2011–2012	203	3,019.24	203	3,019.24	0	0.00
			2012–2013	1144	7,797.78	1144	7,797.78	0	0.00
			2013–2014	1615	5,275.54	1615	5,275.54	0	0.00
2403 योग				**3610**	**28,506.68**	**3610**	**28,506.68**	**0**	**0.00**
28	2405	मछली पालन	2007–2008	172	179.74	172	179.74	0	0.00
			2008–2009	167	310.94	167	310.94	0	0.00
			2009–2010	126	241.27	126	241.27	0	0.00
			2010–2011	164	484.18	164	484.18	0	0.00
			2011–2012	144	472.07	144	472.07	0	0.00
			2012–2013	603	2,205.32	603	2,205.32	0	0.00
			2013–2014	738	2,309.52	738	2,309.52	0	0.00
2405 योग				**2114**	**6,203.05**	**2114**	**6,203.05**	**0**	**0.00**
29	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	2010–2011	1	87.00	1	87.00	0	0.00
			2013–2014	9	319.06	9	319.06	0	0.00
2406 योग				**10**	**406.06**	**10**	**406.06**	**0**	**0.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	2408	खाद्य, भण्डारण तथा भंडागार	2007–2008	8	2,021.01	8	2,021.01	0	0.00
			2008–2009	18	2,035.59	18	2,035.59	0	0.00
			2009–2010	22	59,941.17	22	59,941.17	0	0.00
			2010–2011	31	28,265.92	31	28,265.92	0	0.00
			2011–2012	23	2,710.10	23	2,710.10	0	0.00
			2012–2013	41	44,179.43	41	44,179.43	0	0.00
			2013–2014	63	2,23,486.24	63	2,23,486.24	0	0.00
2408 योग				**206**	**3,62,639.46**	**206**	**3,62,639.46**	**0**	**0.00**
31	2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2007–2008	8	1,861.25	8	1,861.25	0	0.00
			2008–2009	8	2,427.55	8	2,427.55	0	0.00
			2009–2010	7	2,775.00	7	2,775.00	0	0.00
			2010–2011	13	5,182.50	13	5,182.50	0	0.00
			2011–2012	11	6,185.00	11	6,185.00	0	0.00
			2012–2013	8	7,425.00	8	7,425.00	0	0.00
			2013–2014	14	8,227.50	14	8,227.50	0	0.00
2415 योग				**69**	**34,083.80**	**69**	**34,083.80**	**0**	**0.00**
32	2425	सहकारिता	2007–2008	6	55.20	6	55.20	0	0.00
			2008–2009	5	34.96	5	34.96	0	0.00
			2010–2011	13	303.45	13	303.45	0	0.00
			2011–2012	11	941.04	11	941.04	0	0.00
			2012–2013	12	7,980.34	12	7,980.34	0	0.00
			2013–2014	13	5,951.28	13	5,951.28	0	0.00
2425 योग				**60**	**15,266.27**	**60**	**15,266.27**	**0**	**0.00**
33	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2007–2008	4	1,137.80	4	1,137.80	0	0.00
2435 योग				**4**	**1,137.80**	**4**	**1,137.80**	**0**	**0.00**
34	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2007–2008	122	1,228.50	73	764.85	49	463.65
			2008–2009	164	1,663.94	91	1,205.88	73	458.07
			2009–2010	163	1,246.04	86	933.05	77	313.00
			2010–2011	112	1,537.95	52	440.65	60	1,097.30
			2011–2012	120	3,181.51	31	425.53	89	2,755.98
			2012–2013	89	2,088.20	89	2,088.20	0	0.00
			2013–2014	205	4,552.99	1	1.96	204	4,551.03
			2014–2015	178	9,478.89	11	73.44	167	9,405.45
2501 योग				**1153**	**24,978.02**	**434**	**5,933.56**	**719**	**19,044.48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	2505	ग्राम रोजगार	2007–2008	64	4,046.30	44	2,496.45	20	1,549.85
			2008–2009	78	4,716.99	57	3,303.22	21	1,413.77
			2009–2010	36	2272.68	30	1,951.34	6	321.34
			2010–2011	45	5,343.11	15	1,910.20	30	3,432.91
			2011–2012	43	4,740.43	9	453.78	34	4,286.66
			2012–2013	102	10,605.27	4	107.99	98	10,497.28
			2013–2014	15	22,104.61	0	0.00	15	22,104.61
			2014–2015	33	1,70,334.44	6	54,443.45	27	1,15,890.99
2505 योग				**416**	**2,24,163.83**	**165**	**64,666.43**	**251**	**1,59,497.41**
36	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2007–2008	195	20,361.85	60	9,731.27	135	10,630.58
			2008–2009	179	19,119.64	46	8,217.72	133	10,901.92
			2009–2010	195	18,935.48	33	7,627.37	162	11,308.10
			2010–2011	243	17,519.40	24	4,992.86	219	12,526.55
			2011–2012	424	30,683.75	51	6,656.57	373	24,027.18
			2012–2013	1356	88,418.11	85	4,240.98	1271	84,177.14
			2013–2014	1900	1,59,641.63	8	79.47	1892	1,59,562.17
			2014–2015	1455	1,53,825.08	0	0.00	1455	1,53,825.08
2515 योग				**5947**	**5,08,504.94**	**307**	**41,546.24**	**5640**	**4,66,958.72**
37	2702	लघु सिंचाई	2007–2008	220	510.28	220	510.28	0	0.00
			2008–2009	320	782.37	320	782.37	0	0.00
			2009–2010	268	831.65	268	831.65	0	0.00
			2010–2011	245	847.56	245	847.56	0	0.00
			2011–2012	275	1,060.48	275	1,060.48	0	0.00
			2012–2013	698	2,895.97	698	2,895.97	0	0.00
			2013–2014	1354	5,148.06	1354	5,148.06	0	0.00
2702 योग				**3380**	**12,076.37**	**3380**	**12,076.37**	**0**	**0.00**
38	2801	बिजली	2007–2008	20	4,601.95	9	1972.48	11	2,629.47
			2008–2009	34	5,197.52	0	0.00	34	5,197.52
			2009–2010	22	4,760.25	0	0.00	22	4,760.25
			2010–2011	10	8,009.00	2	80.00	8	7,929.00
			2011–2012	5	10,000.00	0	0.00	5	10,000.00
			2012–2013	13	56,975.65	0	0.00	13	56,975.65
			2013–2014	30	16,957.00	0	0.00	30	16,957.00
			2014–2015	1	1,000.00	0	0.00	1	1,000.00
2801 योग				**135**	**1,07,501.37**	**11**	**2,052.48**	**124**	**1,05,448.89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	2810	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	2007–2008	13	3,910.00	11	3,160.00	2	750.00
			2008–2009	14	2,918.00	13	2,418.00	1	500.00
			2009–2010	13	2,475.00	9	1,848.50	4	626.50
			2010–2011	15	3,578.00	0	0.00	15	3,578.00
			2011–2012	15	3,565.00	0	0.00	15	3,565.00
			2012–2013	19	6,442.50	0	0.00	19	6,442.50
			2013–2014	6	2,096.00	0	0.00	6	2,096.00
			2014–2015	10	3,324.05	0	0.00	10	3,324.05
2810 योग				**105**	**28,308.55**	**33**	**7,426.50**	**72**	**20,882.05**
40	2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	2007–2008	112	1,335.17	112	1,335.17	0	0.00
			2008–2009	95	1,387.52	95	1,387.52	0	0.00
			2009–2010	97	1,841.71	97	1,841.71	0	0.00
			2010–2011	59	1,720.60	59	1,720.60	0	0.00
			2011–2012	54	2,697.23	54	2,697.23	0	0.00
			2012–2013	136	2,591.33	136	2,591.33	0	0.00
			2013–2014	226	2,602.82	226	2,602.82	0	0.00
2851 योग				**779**	**14,176.38**	**779**	**14,176.38**	**0**	**0.00**
41	2852	उद्योग	2007–2008	2	41.00	2	41.00	0	0.00
			2008–2009	5	136.39	5	136.39	0	0.00
			2009–2010	11	359.88	11	359.88	0	0.00
			2010–2011	6	399.51	6	399.51	0	0.00
			2011–2012	9	906.71	9	906.71	0	0.00
			2012–2013	21	1,297.35	21	1,297.35	0	0.00
			2013–2014	39	1,808.33	39	1,808.33	0	0.00
2852 योग				**93**	**4,949.17**	**93**	**4,949.17**	**0**	**0.00**
42	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2007–2008	7	732.57	7	732.57	0	0.00
			2008–2009	1	118.89	1	118.89	0	0.00
			2012–2013	48	8884.13	48	8884.13	0	0.00
			2013–2014	104	8,964.80	104	8,964.80	0	0.00
2853 योग				**160**	**18,700.39**	**160**	**18,700.39**	**0**	**0.00**
43	2885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	2007–2008	1	25.00	1	25.00	0	0.00
			2008–2009	1	25.00	1	25.00	0	0.00
			2010–2011	1	30.00	1	30.00	0	0.00
			2011–2012	1	30.00	1	30.00	0	0.00
			2012–2013	1	30.00	1	30.00	0	0.00
			2013–2014	1	30.00	1	30.00	0	0.00
2885 योग				**6**	**170.00**	**6**	**170.00**	**0**	**0.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	3054	सड़क तथा सेतु	2007–2008	2	500.00	0	0.00	2	500.00
			2008–2009	2	2,497.00	0	0.00	2	2,497.00
			2009–2010	1	2,500.00	0	0.00	1	2,500.00
			2010–2011	2	6,300.00	0	0.00	2	6,300.00
			2011–2012	3	10,000.00	0	0.00	3	10,000.00
			2012–2013	2	10,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00
			2013–2014	3	12,250.00	0	0.00	3	12,250.00
			2014–2015	6	11,500.00	0	0.00	6	11,500.00
3054 योग				**21**	**55,547.00**	**1**	**5,000.00**	**20**	**50,547.00**
45	3275	अन्य संचार सेवाऐं	2007–2008	5	1,326.00	5	1,326.00	0	0.00
			2008–2009	8	1,394.00	8	1,394.00	0	0.00
			2009–2010	4	614.00	4	614.00	0	0.00
			2010–2011	4	509.92	4	509.92	0	0.00
			2011–2012	12	2,611.49	12	2,611.49	0	0.00
			2012–2013	11	7,458.00	11	7,458.00	0	0.00
			2013–2014	6	2,600.75	6	2,600.75	0	0.00
3275 योग				**50**	**16,514.16**	**50**	**16,514.16**	**0**	**0.00**
46	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2007–2008	15	691.82	15	691.82	0	0.00
			2008–2009	14	709.46	14	709.46	0	0.00
			2009–2010	12	573.58	12	573.58	0	0.00
			2010–2011	7	156.15	7	156.15	0	0.00
			2011–2012	11	454.50	11	454.50	0	0.00
			2012–2013	11	818.62	11	818.62	0	0.00
			2013–2014	14	1,113.93	14	1,113.93	0	0.00
3425 योग				**84**	**4,518.06**	**84**	**4,518.06**	**0**	**0.00**
47	3452	पर्यटन	2007–2008	12	2,000.00	12	2,000.00	0	0.00
			2008–2009	10	3,100.00	10	3,100.00	0	0.00
			2009–2010	9	3,200.00	9	3,200.00	0	0.00
			2010–2011	11	3,235.00	11	3,235.00	0	0.00
			2011–2012	8	3,235.00	8	3,235.00	0	0.00
			2012–2013	13	4,158.50	13	4,158.50	0	0.00
			2013–2014	11	4,002.35	11	4,002.35	0	0.00
3452 योग				**74**	**22,930.85**	**74**	**22,930.85**	**0**	**0.00**
48	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	2010–2011	1	910.00	1	910.00	0	0.00
3454 योग				**1**	**910.00**	**1**	**910.00**	**0**	**0.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	3604	स्थानीय विनयोंता पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति	2007–2008	127	52,301.23	0	0.00	127	52,301.23
			2008–2009	69	50,446.19	2	10,546.21	67	39,899.98
			2009–2010	137	45,092.15	1	169.63	136	44,922.52
			2010–2011	177	69,265.13	16	154.11	161	69,111.02
			2011–2012	205	69,221.95	1	238.34	204	68,983.61
			2012–2013	218	88,772.89	14	4,959.96	204	83,812.93
			2013–2014	214	99,973.71	0	0.00	214	99,973.71
			2014–2015	202	1,05,363.53	0	0.00	202	1,05,363.53
3604 योग				**1349**	**5,80,436.77**	**34**	**16,068.25**	**1315**	**5,64,368.52**
50	4202	शिक्षण, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2007–2008	3	2,016.42	3	2,016.42	0	0.00
			2008–2009	3	3,700.00	3	3,700.00	0	0.00
			2009–2010	1	500.00	1	500.00	0	0.00
4202 योग				**7**	**6,216.42**	**7**	**6,216.42**	**0**	**0.00**
51	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2007–2008	1	1,200.00	1	1,200.00	**0**	0.00
4210 योग				**1**	**1,200.00**	**1**	**1,200.00**	**0**	**0.00**
52	4225	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2007–2008	102	751.56	102	751.56	0	0.00
			2008–2009	63	610.52	63	610.52	0	0.00
			2009–2010	70	1,394.74	70	1,394.74	0	0.00
			2010–2011	73	1,482.57	73	1,482.57	0	0.00
4225 योग				**308**	**4,239.38**	**308**	**4,239.38**	**0**	**0.00**
53	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	2007–2008	34	3,585.65	34	3,585.65	**0**	0.00
			2008–2009	11	832.00	11	832.00	**0**	0.00
			2009–2010	32	2,541.60	32	2,541.60	0	0.00
			2010–2011	23	3,428.60	23	3,428.60	0	0.00
4515 योग				**100**	**10,387.85**	**100**	**10,387.85**	**0**	**0.00**
54	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2007–2008	1	0.03	1	0.03	0	0.00
			2008–2009	1	0.03	1	0.03	0	0.00
			2009–2010	3	0.10	3	0.10	0	0.00
4801 योग				**5**	**0.16**	**5**	**0.16**	**0**	**0.00**
55	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2007–2008	1	37.48	1	37.48	0	0.00
			2008–2009	1	1,017.41	1	1,017.41	0	0.00
			2009–2010	1	600.91	1	600.91	0	0.00
			2010–2011	4	1,371.23	4	1,371.23	0	0.00
4851 योग				**7**	**3,027.03**	**7**	**3,027.03**	**0**	**0.00**
56	5054	सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2008–2009	2	2,212.10	2	2,212.10	0	0.00
			2013–2014	1	2,200.00	1	2,200.00	**0**	0.00
5054 योग				**3**	**4,412.10**	**3**	**4,412.10**	**0**	**0.00**
महायोग				**94497**	**37,37,960.56**	**79243**	**20,90,268.60**	**15254**	**16,47,691.87**

परिशिष्ट – 3.2
(संदर्भ: कंडिका–3.2.1; पृष्ठ 66)
सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 14 के तहत पहचान की गयी लेखा परीक्षा योग्य इकाइयों की सूची

स. कं.	प्राप्तकर्ता	तक अंकेक्षित
1	नोडल अधिकारी, संजीवनी कोष	निरंक
2	निदेशक, राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	04/2005 – 03/2010
3	कार्यपालन अधिकारी, राष्टीय स्वास्थ्य बीमा योजना	निरंक
4	नोडल अधिकारी, अपातकालीन स्वास्थ्य सेवाए	निरंक
5	निदेशक राज्य स्वास्थ्य स्त्रोत केंद्र	05/2002 – 11/2005
6	प्रंबध संचालक पयर्टन मडंल	04/2008 – 03/2010
7	मुख्य कार्यपालन अधिकारी नया रायपुर विकाय प्रधिकरण	निरंक
8	मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास प्राधिकरण	निरंक
9	प्रचार्य/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान	निरंक
10	कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण	04/2003 – 06/2006
11	कार्यपालन निदेशक छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद	12/2010 – 01/2014
12	छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी कल्याण और आश्रम शिक्षा संस्थान	निरंक
13	प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ महिला कोष	निरंक
14	बाल विकास परियोजना अधिकारी	03/2001 – 01/2013
15	प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी वित्त एवं विकास निगम	12/2012 तक
16	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी	12/2006 – 05/2013 तक
17	जिला आयोजक आदिम जाति कल्याण	निरंक
18	मिशन निदेशक राजीव गांधी मिशन	2006–07 से 2010–11
19	मिशन निदेशक, यूरोपियन आयोग राज्य साझेदारी कार्यक्रम	निरंक
20	रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर	निरंक
21	प्राचार्य, चितानी मितानी दूबे महाविद्यालय, बिलासपुर एवं अन्य महाविद्यालय	निरंक
22	रजिस्ट्रार, हिदायतुला राष्टीय वि. वि.	निरंक
23	रजिस्ट्रार इंदिरा कला सगीत विश्वविद्यालय	निरंक
24	रजिस्ट्रार कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय	निरंक
25	वित्तीय नियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	निरंक
26	रजिस्ट्रार, सरगुजा विश्वविद्यालय	09/2008 – 12/2014
27	रजिस्ट्रार बस्तर विश्वविद्यालय	निरंक
28	रजिस्ट्रार रविशंकर विश्वविद्यालय	11/2000 – 03/2004
29	रजिस्ट्रार, पशु चिक्तिसा विश्वविद्यालय	निरंक
30	नोडल अधिकारी मुख्य मंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	निरंक
31	परियोजना निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य एड्स निवारण समिति	08/2011 – 06/2015
32	मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन	निरंक
33	निदेशक राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा मिशन	निरंक
34	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ	निरंक
35	राज्य कृषि बिक्री महासंघ, सहकारिता दुग्ध उत्पादन उद्योग	निरंक

स. कं.	प्राप्तकर्ता	तक अंकेक्षित
36	मिशन निदेशक राज्य बागवानी विकास समिति	निरंक
37	प्रंबध निदेशक, दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी मील एवं अन्य	निरंक
38	मिशन निदेशक सहकारी चीनी मिल	निरंक
39	निदेशक गैर नवीकरण उर्जा विकास प्राधिकरण	12/2005 – 04/2014
40	छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास मंडल	05/2006 – 09/2010
41	बुनकर सहकारी समिति	निरंक
42	प्रंबध निदेशक खादी ग्राम उद्योग	03/2010 – 04/2011
43	हस्तशिल्प विकास और विपणन सहकारी संघ	निरंक
44	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एंवम उद्योग केंद्र	07/2014 – 05/2015
45	प्रंबध निदेशक रायपुर दग्ध उत्पादन महासंघ	निरंक

परिशिष्ट 3.3
(संदर्भ: कंडिका–3.2.2; पृष्ठ 67)
(31 मार्च 2015 तक स्वायत्त निकायों के लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का विषलेशण)

स. कं.	निकाय	दिनांक	प्रदत्त लेखा वर्ष	बकाया लेखा वर्ष	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का जारी करने का वर्ष	पृथक लेखा परीक्षक प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत करने की स्थिति
1	छत्तीसगढ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	8.10.2004	2010–11	2011–12 से 2014–15	2010–11	नहीं प्रस्तुत किया गया
2	छत्तीसगढ राज्य वन विकास निगम	22.05.2001	2013–14	2014–15	2013–14	नहीं प्रस्तुत किया गया
3	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	19.07.2004	2011–12	2012–13 से 2014–15	2011–12	नहीं प्रस्तुत किया गया
4	छत्तीसगढ अधोसंरचना विकास निगम	26.02.2001	2008–09	2009–10 से 2014–15	2008–09	13.05.15 को प्रस्तुत किया गया
5	छत्तीसगढ राज्य उद्योग विकास निगम	16.11.1981	2009–10	2010–11 से 2014–15	2008–09	06.01.15 को प्रस्तुत किया गया
6	छत्तीसगढ राज्य खनिज विकास निगम	07.06.2001	2013–14	2014–15	2013–14	
7	सीएमडीसी आईसीपीएल कोयला उद्योग	11.04.2008	2013–14	2014–15	2013–14	नहीं प्रस्तुत किया गया
8	छत्तीसगढ सोंडिया कोयला उद्योग	30.12.2008	2013–14	2014–15	2013–14	2015 को प्रस्तुत किया गया
9	सीएसपीजीसीएल एईएल परसा कोलेरी उद्योग	06.12.2010	2014–15	..	2014–15	नहीं प्रस्तुत किया गया
10	छत्तीसगढ राज्य बिजली वितरण कम्पनी	19.05.2003	2013–14	2014–15	2013–14	12.03.15 को प्रस्तुत किया गया
11	छत्तीसगढ राज्य बिजली संरचना कम्पनी	19.05.2003	2013–14	2014–15	2013–14	12.03.15 को प्रस्तुत किया गया
12	छत्तीसगढ राज्य बिजली रख रखाव कम्पनी	30.12.2008	2013–14	2014–15	2013–14	12.03.15 को प्रस्तुत किया गया
13	छत्तीसगढ राज्य बिजली ट्रेडिगं कम्पनी	30.12.2008	2013–14	2014–15	2013–14	12.03.15 को प्रस्तुत किया गया
14	छत्तीसगढ राज्य ट्राशंमिशन कम्पनी	19.05.2003	2013–14	2014–15	2013–14	12.03.15 को प्रस्तुत किया गया
15	छत्तीसगढ राज्य बेवरेज निगम	7.11.2001	2013–14	2014–15	2013–14	नहीं प्रस्तुत किया गया

स. कं.	निकाय	दिनांक	प्रदत्त लेखा वर्ष	बकाया लेखा वर्ष	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का जारी करने का वर्ष	पृथक लेखा परीक्षक प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत करने की स्थिति
16	छत्तीसगढ़ राज्य जन वितरण निगम	13.03.2001	2012–13	2013–14 से 2014–15	2012–13	नहीं प्रस्तुत किया गया
17	छत्तीसगढ राज्य स्वास्थ्य सेवाएं निगम	7.10.2010	2013–14	2014–15	2013–14	नहीं प्रस्तुत किया गया
18	छत्तीसगढ राज्य पूलिस गृह निगम	14.12.2011	2013–14	2014–15	2013–14	नहीं प्रस्तुत किया गया
19	रायपुर नगर निगम परिवहन	1.10.2011	प्रथम लेखन नही प्राप्त	2011–12 से 2014–15	–––	–––
20	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	2.5.2002	2013–14	2014–15	2013–14	नहीं प्रस्तुत किया गया
21	छत्तीसगढ़ गृह निमार्ण प्राधिकरण	2007–08	2002–03 से 2009–10	2010–11 से 2014–15	2007– 08, 2008–09 दक 2009–10	नहीं प्रस्तुत किया गया
22	छत्तीसगढ राज्य विधि सेवाएं प्रधिकरण, बिलासपुर	संसद एक्ट द्वारा प्रदत्त	2008–09 से 2011–12	2012–13 से 2014–15	2007–08	नहीं प्रस्तुत किया गया
23	सी.ए.एम.पी.ए.	कम्पा एक्ट द्वारा प्रदत्त	2009–10 से 2013–14	2014–15	2008–09	नहीं प्रस्तुत किया गया

परिशिष्ट– 3.4
(संदर्भ: कंडिका–3.4; पृष्ठ 68)

चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

स. कं.	विभाग/ईकाई का नाम	चोरी के प्रकरण		गबन प्रकरण		सरकारी भंडार/सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उच्चशिक्षा	13	11.62	3	2.83	2	2.51	18	16.96
2	कला एवं संस्कृति	1	0.81	–	–	–	–	1	0.81
3	जिला प्रशासन	1	0.67	–	–	7	3.85	8	4.52
4	कोष एवं लेखा प्रशासन	3	0.20	4	7.78	4	11.81	11	19.79
5	तकनिकी शिक्षा	4	0.00	1	1.91	8	51.09	13	53.00
6	आदिम जाति	3	0.90	3	0.20	13	16.66	19	17.76
7	विक्रय पर व्यापार	1	0.02	–	–	–	–	1	0.02
8	महिला एवं बाल विकास	1	3.50	1	–	2	2.28	4	5.78
9	शिक्षा	21	11.92	15	10.43	23	90.93	59	113.28
10	पुलिस	25	9.97	3	18.16	389	103.91	417	132.04
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3	0.29	5	0.83	18	2.04	26	3.16
12	तहसील	2	0.50	9	1.59	3	0.25	14	2.34
13	राज्य आबकारी	–	–	–	–	2	3.86	2	3.86
14	पशुपालन	5	0.59	1	0.10	130	11.78	136	12.47
15	लोक सेवा आयोग	–	–	–	–	1	3.16	1	3.16
16	सहकारिता	–	–	–	–	1	96.26	1	96.26
17	पचांयत एवं समाज कल्याण	–	–	–	–	4	4.29	4	4.29
18	डेयरी विकास	1	0.20	–	–	1	0.02	2	0.22
19	रेशम	2	0.10	–	–	2	0.00	4	0.10
20	जिला एवं सत्र न्यायालय	4	0.11	2	9.16	3	2.00	9	11.27
21	खनिज संसाधन विभाग	–	–	–	–	1	0.15	1	0.15
22	श्रम एवं रोजगाार	9	3.00	–	–	3	0.63	12	3.63
23	खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग	–	–	–	–	4	0.23	4	0.23
24	फसल कृषि कर्म	1	0.24	1	2.97	7	5.51	9	8.72
25	आदिम जाति/ आदिम जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	1	0.00	2	0.56	11	2.66	14	3.22
26	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं	9	3.46	7	32.81	12	12.97	28	49.24
27	वन	2	0.38	–	–	961	1,002.84	963	1,003.22
28	लोक निमार्ण	2	0.24	–	–	453	9,136.19	455	9,136.43
29	जन संसाधन विभाग	7	4.05	–	–	12	210.65	19	214.70
30	भूमि संरक्षण	–	–	–	–	1	0.00	1	0.00
31	वित्त और सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	–	–	–	–	1	0.05
32	कलेक्ट्रेट	–	–	2	0.38	1	0.08	3	0.46
33	परिवहन विभाग	–	–	–	–	1	0.00	1	0.00
34	उद्योग	–	–	–	–	1	0.04	1	0.04
35	शहरी विकास	–	–	1	0.15	–	–	1	0.15
	महायोग	**122**	**52.82**	**60**	**89.86**	**2081**	**10,778.65**	**2263**	**10,921.33**

परिशिष्ट 3.5
(संदर्भ: कंडिका–3.4; पृष्ठ 68)

शासन को हुई हानियों का विश्लेषण
(31 मार्च 2015 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरणों)

(₹ लाख में)

स. क.	विभाग/इकाई का नाम	प्रकरण संख्या एवं राशि						
		पाँच वर्ष तक	05 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	20 वर्ष से उपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्चशिक्षा	4 (2.14)	8 (11.57)	3 (2.64)	–	2 (0.11)	1 (0.50)	18 (16.96)
2	कला एवं संस्कृति	–	–	–	–	–	1 (0.81)	1 (0.81)
3	जिला प्रशासन	–	1 (0.20)	1 (0.21)	1 (0.67)		5 (3.45)	8 (4.53)
4	कोष एवं लेखा प्रशासन	1 (0.00)	1 (0.08)	2 (7.26)	1 (11.77)	–	6 (0.68)	11 (19.79)
5	तकनिकी शिक्षा	3 (46.80)	9 (5.95)	–	–		1 (0.25)	13 (53.00)
6	आदिम जाति	–	2 (0.75)	3 (1.46)	4 (12.67)	3 (1.60)	7 (1.28)	19 (17.76)
7	विक्रय पर व्यापार	–	–	–	–	–	1 (0.02)	1 (0.02)
8	जेल	–	–	–	–	–	–	–
9	महिला एवं बाल विकास	–		1 (1.96)		2 (3.50)	1 (0.32)	4 (5.78)
10	शिक्षा	2 (43.08)	7 (26.99)	6 (22.94)	–	10 (11.10)	34 (9.17)	59 (113.28)
11	पुलिस	194 (32.42)	133 (42.03)	56 (34.16)	14 (7.33)	9 (14.92)	11 (1.18)	417 (132.04)
12	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	26 (3.16)	26 (3.16)
13	तहसील	–	3 (0.98)	–	–	–	11 (1.36)	14 (2.34)
14	राज्य आबकारी	–	2 (3.86)	–	–	–		2 (3.86)
15	पशुपालन	58 (5.63)	66 (3.44)	6 (1.98)	–	1 (0.73)	5 (0.69)	136 (12.47)
16	लोक सेवा आयोग	–	1 (3.16)	–	–	–	–	1 (3.16)
17	सहकारिता	–	1 (96.26)	–	–	–	–	1 (96.26)
18	पचांयत एवं समाज कल्याण	1 (4.00)	1 (0.00)	1 (0.23)	–	–	1 (0.06)	4 (4.29)
19	डेयरी विकास	–	–		1 (0.20)	–	1 (0.02)	2 (0.22)
20	रेशम	2 (0.00)	1 (0.10)	1 (0.00)	–	–		4 (0.10)
21	जिला एवं सत्र न्यायालय	2 (0.00)	2 (1.08)	2 (1.48)	2 (8.71)	1 (0.01)	–	9 (11.28)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	खनिज संसाधन विभाग	1 (0.15)	–	–	–	–	–	1 (0.15)
23	श्रम एवं रोजगाार	2 (0.50)	–	5 (2.71)	–	2 (0.07)	3 (0.35)	12 (3.63)
24	खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग	–	–	1 (0.10)	–	–	3 (0.13)	4 (0.23)
25	आदिम जाति / आदिम जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	1 (0.00)	–	–	–	4 (0.63)	9 (2.59)	14 (3.22)
26	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं	1 (9.85)	4 (1.44)	2 (31.05)	6 (2.41)	3 (1.33)	12 (3.16)	28 (49.24)
27	फसल कृषि कर्म	3 (0.16)	5 (5.59)	1 (2.98)	–	–	–	9 (8.73)
28	वन	27 (121.59)	63 (127.96)	144 (158.92)	221 (404.22)	190 (122.21)	318 (68.32)	963 (1,003.22)
29	लोक निमार्ण	341 (8,355.59)	71 (651.44)	43 (129.40)	–	–	–	455 (9,136.43)
30	जन संसाधन विभाग	7 (23.86)	12 (190.84)	–	–	–	–	19 (214.70)
31	भूमि संरक्षण	–	1 (0.00)	–	–	–	–	1 (0.00)
32	वित्त और सांख्यिकी निदेशालय	1 (0.05)	–	–	–	–	–	1 (0.05)
33	कलेक्ट्रेट	–	–	–	–	–	3 (0.46)	3 (0.46)
34	परिवहन विभाग	–	–	–	–	1 (0.00)	–	1 (0.00)
35	उद्योग	–	–	–	–	–	1 (0.04)	1 (0.04)
36	शहरी विकास	–	–	–	–	–	1 (0.15)	1 (0.15)
	योग	**651 (8,645.82)**	**394 (1,173.72)**	**278 (399.48)**	**250 (447.98)**	**228 (156.21)**	**462 (98.15)**	**2263 (10,921.36)**

परिशिष्ट 3.6
(संदर्भ: कंडिका–3.4; पृष्ठ 69)
वर्ष 2014–15 के दौरान हानि प्रकरणों में वसूली की जानकारी

(₹ में)

सं. क्र.	प्र. क्र.	मुख्य शीर्ष	विभाग	हानि का प्रकार	वर्ष	हानि मात्रा	वसूली मात्रा
1	1	2406	वानिकी	हानि	2014–15	11,043.00	11,043.00
2	2	2406	वानिकी	हानि	2012–13	32,938.00	32,938.00
3	3	2406	वानिकी	हानि	1993–94	55,380.00	55,380.00
4	4	2406	वानिकी	हानि	2010–11	7,200.00	7,200.00
5	5	2406	वानिकी	हानि	1995–96	17,252.06	17,252.06
6	6	2406	वानिकी	हानि	1991–92	42,183.00	42,183.00
7	7	2406	वानिकी	हानि	2004–05	1,581.00	1,581.00
8	8	2406	वानिकी	हानि	2000–01	748.00	748.00
9	9	2406	वानिकी	हानि	2013–14	1,524.00	1,524.00
10	11	2406	वानिकी	हानि	2013–14	8,277.00	8,277.00
11	12	2406	वानिकी	हानि	2013–14	4,559.00	4,559.00
12	13	2406	वानिकी	हानि	2000–01	40,000.00	40,000.00
13	15	2406	वानिकी	हानि	1992–93	20,928.00	20,928.00
14	16	2406	वानिकी	हानि	2001–02	1,159.00	1,159.00
15	18	2406	वानिकी	हानि	2013–14	3,733.00	3,733.00
16	40	2406	वानिकी	हानि	1997–98	81,464.00	81,464.00
17	41	2406	वानिकी	हानि	1994–95	8,293.00	8,293.00
18	42	2406	वानिकी	हानि	1994–95	44,783.00	44,783.00
19	43	2406	वानिकी	हानि	1992–93	97,623.00	97,623.00
20	49	2406	वानिकी	हानि	2003–04	3,612.00	3,612.00
21	50	2406	वानिकी	हानि	1993–94	1,73,060.00	1,73,060.00
योग						**6,57,340.06**	**6,57,340.06**
22	19	2055	पुलिस	हानि	2011–12	7,790.00	7,790.00
23	20	2055	पुलिस	हानि	2012–13	1,103.00	1,103.00
24	21	2055	पुलिस	हानि	2003–04	5,041.00	5,041.00
25	22	2055	पुलिस	हानि	2003–04	5,172.00	5,172.00
26	23	2055	पुलिस	हानि	2014–15	78.00	78.00
27	24	2055	पुलिस	हानि	2014–15	406.00	406.00
28	25	2055	पुलिस	हानि	2014–15	4,548.00	4,548.00
29	27	2055	पुलिस	हानि	2013–14	1,228.00	1,228.00
30	33	2055	पुलिस	हानि	2009–10	1,106.00	1,106.00
31	34	2055	पुलिस	हानि	2014–15	1,308.00	1,308.00
32	35	2055	पुलिस	हानि	2014–15	4,206.00	4,206.00
33	36	2055	पुलिस	हानि	2014–15	1,760.00	1,760.00
34	39	2055	पुलिस	हानि	2013–14	5,745.00	5,745.00
35	44	2055	पुलिस	हानि	2005–06	1,696.31	1,696.31
36	45	2055	पुलिस	हानि	2012–13	5,038.00	5,038.00
37	46	2055	पुलिस	हानि	2012–13	1,228.00	1,228.00
38	47	2055	पुलिस	हानि	2014–15	9,04,478.00	71,000.00
योग						**9,51,931.31**	**1,18,453.31**

सं. क.	प्र. क.	मुख्य शीर्ष	विभाग	हानि का प्रकार	वर्ष	हानि मात्रा	वसूली मात्रा
39	14		जल संसाधन विभाग	चोरी	2006–07	13,500.00	13,500.00
योग						**13,500.00**	**13,500.00**
40	17	2210	स्वास्थ्य एवं चिक्तिसा सेवाएं	हानि	2014–15	2,23,302.00	2,23,302.00
योग						**2,23,302.00**	**2,23,302.00**
41	29	2014	जिला एवं सत्र न्यायधीश	गबन	2002–03	1,37,177.94	1,37,177.94
योग						**1,37,177.94**	**1,37,177.94**
42	37	2039	आबकारी	हानि	1969–70	1,700.00	1,700.00
योग						**1,700.00**	**1,700.00**
43	48	2202	स्कूली शिक्षा	हानि	2014–15	92,985.00	92,985.00
					योग	**92,985.00**	**92,985.00**
महायोग						**20,77,936.31**	**12,44,458.31**

परिशिष्ट 3.7
(संदर्भ: कंडिका–3.5; पृष्ठ 69)
(लघु शीर्ष 800 एवं अन्य व्यय के अंतगर्त समायोजन का विषलेशण)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतगर्त कुल व्यय (रू करोड़ में)	लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय के अंतगर्त कुल व्यय (रू करोड़ में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	3275– अन्य संचार सेवाएं	76.41	76.41	100.00
2	6075–विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	10.00	10.00	100.00
3	2075–विविध सामान्य सेवाएं	0.17	0.15	89.24
4	4801–बिजली परियोजनाओं में पूंजीगत परिव्यय	190.81	158.31	82.97
5	4700–मुख्य सिचांई	470.78	366.04	77.75
6	4701–मध्यम सिंचाई	25.88	14.20	54.86
7	2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	439.65	177.80	40.44
8	2250–अन्य समाज सेवाएं	7.21	2.83	39.23
9	2013–मंत्री परिषद	25.78	4.56	17.71
10	2039–राज्य उत्पाद शुल्क	67.36	7.59	11.27
11	2405–मछली पालन	62.67	1.95	3.11
12	2403–पशु पाालन	297.48	8.54	2.87
13	2852–उद्योग	59.36	1.48	2.50
14	2014–न्याय प्रसाशन	165.17	3.85	2.33
15	2012–राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	6.77	0.16	2.30
16	6004–केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	157.17	2.38	1.51
17	2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	317.65	4.33	1.36
18	2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	139.40	1.50	1.08
19	3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा संख्यिकी	23.46	0.23	0.98
20	2215–जन पूर्ति तथा सफाई	600.24	5.00	0.83
21	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,301.06	9.53	0.73
22	2225–अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	184.01	1.24	0.68
23	2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण	7.92	0.04	0.57
24	2203–तकनिकी शिक्षा	71.39	0.30	0.42

1	2	3	4	5
25	5054–सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,583.14	8.55	0.33
26	2204–खेलकुद तथा युवा सेवाएं	29.80	0.07	0.23
27	2053–जिला प्रशासन	195.70	0.30	0.15
28	2071–पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ	3,249.52	4.05	0.12
29	2054–खजाना तथा लेखा प्रशासन	52.34	0.05	0.10
30	2059–लोक निमार्ण कार्य	325.62	0.27	0.08
31	2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी	1,082.10	0.60	0.06
32	4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय	94.98	0.05	0.06
33	2015–निर्वाचन	109.83	0.05	0.05
34	2202–सामान्य शिक्षा	9,131.23	3.24	0.04
35	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,930.10	0.78	0.04
36	2851–ग्रामीण तथा लघु उद्योग	125.38	0.04	0.04
37	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.60	0.00	0.03
38	2217–शहरी विकास	364.97	0.07	0.02
39	2425–सहकारिता	117.15	0.02	0.02
40	2216–आवास	615.36	0.03	0.01
41	4702–लघु सिचांई पर पूंजीगत परिव्यय	1,011.17	0.00	0.00
योग		**25,731.79**	**876.59**	

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भः कंडिका–3.5; पृष्ठ 69)

(लघु शीर्ष "800"एवं अन्य प्राप्तियों के अंतगर्त समायोजन)

स. क.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतगर्त कुल प्राप्तियाँ (रू करोड़ में)	लघू शीर्ष 800– अन्य प्राप्तियों के अतंगर्त कुल प्राप्तियाँ (रू करोड़ में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	0075–विविध सामान्य सेवाएं	0.42	0.73	175.67
2	0702–लघु सिचांई	127.23	182.33	143.31
3	0852–उद्योग	4.44	4.46	100.37
4	0217–शहरी विकास	4.47	4.47	100.02
5	0035–कृषि भुमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर	0.00	0.00	100
6	0047–अन्य राज कोषीय सेवाएं	0.01	0.01	100
7	0211–परिवार कल्याण	0.02	0.02	100
8	0802–पेट्रोलियम	0.04	0.04	100
9	1053–नगर विमानन	1.97	1.97	100
10	0220–सूचना तथा प्रचार	0.04	0.04	99.67
11	0235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4.02	4.00	99.35
12	0435–अन्य कृषि कार्यक्रम	1.97	1.94	98.32
13	0071–पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभों के संदर्भ में अंशदान तथा वसूली	6.11	5.83	95.44
14	0055–पुलिस	13.79	10.29	74.62
15	0041– वाहन कर	703.48	494.76	70.33
16	0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	36.45	23.85	65.44
17	0058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण	3.54	2.09	59.21
18	0059–लोक निमार्ण कार्य	39.21	20.64	52.63
19	0403–पशु पालन	5.36	2.57	47.95
20	0230–श्रम तथा रोजगार	17.61	8.06	45.8
21	0250–अन्य सामाजिक सेवाएं	38.77	17.38	44.84
22	0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	4.72	1.70	35.94
23	0405–मछली पालन	3.70	0.96	25.85
24	0042–माल तथा यात्री कर	982.38	213.45	21.73
25	0056–जेल	5.08	1.02	20.02
26	0043–विद्युत कर तथा शुल्क	1,312.92	257.65	19.62
27	0039–राज्य उत्पाद शुल्क	2,892.45	534.38	18.47
28	0029–भू–राजस्व	331.56	60.41	18.22
29	0406–वाणिकी तथा वन्य प्राणी	348.72	57.64	16.53
30	0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	20.13	2.87	14.27
31	0701–मुख्य तथा मध्यम सिचांई	6.67	0.85	12.74
32	0851–ग्राम तथा लघु उद्योग	1.27	0.16	12.73
33	0030–स्टांप तथा पंजीकरण फीस	1023.34	114.43	11.18

1	2	3	4	5
34	0700–मुख्य सिचांई	410.95	37.06	9.02
35	1601–केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	8,919.18	659.32	7.39
36	0853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,572.68	238.07	6.66
37	0202–शिक्षा खेलकुद कला तथा संस्कृति	30.78	1.96	6.38
38	1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.34	0.38	6.02
39	0023–होटल प्राप्ति कर	6.49	0.29	4.49
40	0215–जल पूर्ति तथा सफाई	3.53	0.15	4.15
41	0049–ब्याज प्राप्तियाँ	116.70	4.73	4.05
42	1054–सड़क तथा सेतु	2.22	0.07	3.30
43	0401–फसल कृषि कर्म	8.70	0.19	2.20
44	0216–आवास	3.38	0.05	1.48
45	0408–खाद्य संरक्षण तथा भंडागार	0.18	0.00	1.34
46	0040–बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,428.11	32.60	0.39
47	0045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	25.86	0.05	0.21
योग		**29,476.99**	**3,005.92**	

**इसमें वसूलियाँ सम्मलित हैं।*

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: कंडिका–3.6; पृष्ठ 70)

(राजस्व विभाग के अंतगर्त समायोजित मुख्य कार्यों का विवरण)

(₹ करोड़ में)

स. कं.	मुख्य शीर्ष	नाम	उददेश्य शीर्ष	नम	राशि
1	2014	न्याय प्रशासन	26	मुख्य कार्य	2.34
2	2215	जल पूर्ति तथा सफाई	26	मुख्य कार्य	107.65
					109.99

परिशिष्ट 3.10
(संदर्भः कंडिका–3.6; पृष्ठ 70)
पूंजीगत विभाग के अंतगर्त सहायता अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क	मुख्य शीर्ष	नाम	उददेश्य शीर्ष कोड़	नाम	राशि
1	4059	लोक निमार्ण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान	10.50
2	4202	शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान	22.56
3	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान	2.00
4	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान	300.00
5	4225	अनूसूचित जातियों, अनूसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान	105.83
6	4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान	3.99
7	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यकर्मों पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान	365.44
8	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान	190.81
9	4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान	5.00
10	5425	अन्य विज्ञानकि तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान	5.90
11	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान	1.50
12	4853	अलौह खनन तथा धातु पर पूंजीगत परिव्यय	14	सहायता अनुदान	3.12
योग					**1,016.66**

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भः कंडिका–3.6; पृष्ठ 71)

अनियमित स्वीकृति का विवरण

(₹ लाख में)

स. कं.	विभाग	स्वीकृति तिथि	वर्गीकरण	कार्य विवरण	आपत्ति का प्रकार	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया	06.05.14	अनुदान सं. 45/2702 ओडरी विपथन इकाई 2 नहर	मुख्य नहर की 180 मी. सड़क के मुहाने का निमार्ण	अनियमित (पूंजीगत कार्य के राजस्व शीर्ष में उल्लेखन) बाबत्	21.89
2	कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूंठ पुर, कोरिया	06.05.14	अनुदान सं. 45/2702 ए/आर (अयोजनोत्तर) इकाई 2 चंटी नहर	मुख्य नहर की 5730 मी. सड़क के मुहाने का निमार्ण	अनियमित (पूंजीगत कार्य के राजस्व शीर्ष में उल्लेखन) बाबत्	21.89
3	कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया	06.05.14	अनुदान सं. 45/2702 (अयोजनोत्तर) ओडरी विपथन इकाई 2 नहर	मुख्य नहर की 180 मी. सड़क के मुहाने का निमार्ण (ओडरी विपथन की छपरा टोला)	अनियमित (पूंजीगत कार्य के राजस्व शीर्ष में उल्लेखन) बाबत्	29.19
4	कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया	06.05.14	अनुदान सं. 45/2702 (अयोजनोत्तर) भरोटा नहर इकाई 2 नहर	मुख्य नहर की 1710 मी. सड़क के मुहाने का निमार्ण (बरोटा नहर)	अनियमित (पूंजीगत कार्य के राजस्व शीर्ष में उल्लेखन) बाबत्	21.89
5	कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया	06.05.14	अनुदान सं. 45/2702 (अयोजनोत्तर) ओडरी विपथन इकाई 2 नहर	मुख्य नहर की 8085 मी. सड़क के मुहाने का निमार्ण (ओडरी विपथन)	अनियमित (पूंजीगत कार्य के राजस्व शीर्ष में उल्लेखन) बाबत्	21.89
6	कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया	06.05.14	अनुदान सं. 45/2702 (अयोजनोत्तर) कंजिया विपथन इकाई 2 नहर	मुख्य नहर की 270 मी. सड़क के मुहाने का निमार्ण (कांजिया विपथन)	अनियमित (पूंजीगत कार्य के राजस्व शीर्ष में उल्लेखन) बाबत्	21.89
7	अधिकक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना क्षेत्र जगदलपुर	18.09.14	अनुदान सं. 41/4702 पारापुर अनिकट मार्ग	इंदरावति परियोजना क्षेत्र, जगदलपुर कार्यलय के मोटर साइकिल स्टैड़ का निमार्ण	गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित)	0.86
8	कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, मरवाही	26.06.14	अनुदान सं. 41/4702 दररी विपथन परियोजना	मरवाही कार्यालय भवन की आर सी सी छत का का निमार्ण	गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित)	8.81
9	अधिकक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना क्षेत्र जगदलपुर	11.09.14	अनुदान सं. 41/4702 रेडीपाल अनिकट की आकस्मिकता	शासकीय जीप सं. सी जी 02/2054 की मरम्मत	गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित)	0.335

1	2	3	4	5	6	7
10	कार्यपालन अंभियंता, एमआरपी फेस–2 लोक निमार्ण विभाग रायपुर	06.09.14	अनुदान सं. 23/4700, राजीव समोदो निशदा विपथन परियोजना फेस–2	मंडल कार्यालय एम आर पी फेश 2 के फर्श कार्य का पुनः आकलन	गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित)	11.85
11	अधिकक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना क्षेत्र जगदलपुर	11.09.14	अनुदान सं. 41/4702 देवदा अनिकट भाकेड़ की आकस्मिकता	मंडी सिचांई कालोनी नं. 2 जी क्वाटर की मरम्मत एवं नवीनीकरण	गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित)	5.29
12	कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया	26.03.14	अनुदान सं. 41/4702 आदिवासी उपयोजना	कार्यालय भवन की रंगाई एवं पुताई	गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित)	0.68
13	कार्यपालन अंभियंता, टी. डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग जगदलपुर (बस्तर)	9.7.14	अनुदान सं. 41/4702 दिलमिली, क्षेपरागोड़ा विपथन परियोजना की आकस्मिकता	जल संरक्षण वर्ष 2013 के विज्ञापन	गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित)	1.94
14	अधिकक्षण अभियंता, महानदी परियोजना क्षेत्र रायपुर	26.06.14	अनुदान सं. 41/4700 संढूंर परियोजना	दतरेंगी वितरक का सर्वे	बजट प्रावधान के विरूद्ध उल्लेखित	3.33
15	अधिकक्षण अभियंता, महानदी परियोजना क्षेत्र रायपुर	26.06.14	अनुदान सं. 41/4700 संढूंर परियोजना	बेंद्री वितरक का सर्वे	बजट प्रावधान के विरूद्ध उल्लेखित	2.05
16	अधिकक्षण अभियंता, महानदी परियोजना क्षेत्र रायपुर	26.06.14	अनुदान सं. 41/4700 संढूंर परियोजना	भाटापारा नहर के राजधर वितरक का सर्वे	बजट प्रावधान के विरूद्ध उल्लेखित	2.04
17	अधिकक्षण अभियंता, महानदी परियोजना क्षेत्र रायपुर	26.06.14	अनुदान सं. 41/4700 संढूंर परियोजना (भाटापारा शाखा नहर)	भाटापारा नहर (77.475 कि.मी. सड़क) के बिजरा डीह वितरक का सर्वे	बजट प्रावधान के विरूद्ध उल्लेखित	1.14
18	अधिकक्षण अभियंता, महानदी परियोजना क्षेत्र रायपुर	26.06.14	अनुदान सं. 41/4700 संढूंर परियोजना (भाटापारा शाखा नहर)	भाटापारा नहर (78.924 कि.मी. सड़क) के अकोली डीह वितरक का सर्वे	बजट प्रावधान के विरूद्ध उल्लेखित	1.67
19	अधिकक्षण अभियंता, महानदी परियोजना क्षेत्र रायपुर	26.06.14	अनुदान सं. 41/4700 संढूंर परियोजना (भाटापारा शाखा नहर)	भाटापारा नहर (69.615 कि.मी. सड़क) के सिमरिया वितरक का सर्वे	बजट प्रावधान के विरूद्ध उल्लेखित	1.19

1	2	3	4	5	6	7
20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	09.10.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव ठाकुरदिया के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.24
21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	09.10.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव सानाडुला के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (187.296 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.42
22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	09.10.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव आमाडीह के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (147.57हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.38
23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	08.10.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव टूंडरी के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (347.96 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	1.00
24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	08.10.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव पूरगाँव के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (36.703 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.08
25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	14.11.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव नगरदा डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (368.018 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.55
26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	14.11.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव बील्हा डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (125.979 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.27
27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	14.11.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव गोरबा के डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (135. 257 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.15
28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	14.11.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव बेलमुडी के डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (36. 703 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.13
29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	14.11.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव टेंडूमढ़ही के डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.07

1	2	3	4	5	6	7
30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	14.11.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव बनाहील के डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (80.727 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.17
31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	14.11.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव अलीकुड के डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (93.041 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.11
32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	07.11.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव चीचोली के डबल्यु यू ए सलोनी कला कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.10
33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	7.11.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव शालीजा के डबल्यु यू ए शलोनी कला कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (133.766 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.09
34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	7.11.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव गुवाहटी के डबल्यु यू ए शलोनी कला कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (104.155 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.07
35	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	8.10.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव कोरकोटी के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (117.141 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.31
36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	7.11.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव शलोनी र्खुद के डबल्यु यू ए शलोनी कला कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (105.036 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.07
37	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	14.10.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव परसाडीह के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (160.974 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.27
38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	14.10.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव देवरोहा के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (155.79 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.26
39	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	10.10.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव केथा के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (120.94 हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.20

1	2	3	4	5	6	7
40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार	10.10.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव मडकडी के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (179. 89हक्टे.)	फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई	0.20
41	अधिकक्षण अभियंता, पी एच इ, रायपुर	19.01.15	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	26 जनवरी को नल जल योजना की झांकी	–	4.60
42	कार्यपालन अंभियंता, टी. डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर (बस्तर)	03.07.14	लघु सिचांई कार्य की वार्षिक मरम्मत	अधिक्षक अभियंता बंगलें, निर्मल कॉलोनी जगदलपुर की मरम्मत एवं अरिरिक्त आकलन	मुख्य एवं लघु शीर्ष का विवरण नहीं दिया गया	2.52
43	मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छत्तीसगढ़)	4.04.15	अनुदान सं. 23/4700 महानदी परियोजना की सी सी लाइंनिग एम बी सी सं. 10 का निमार्ण	मुख्य अभियंता कार्यालय रायपुर का वर्ष 2015–16 का ग्रीष्म ऋतु आकलन	पूंजीगत व्यय का कार्य राजस्व व्यय में उल्लेखित होना था	8.54
44	मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छत्तीसगढ़)	4.04.15	अनुदान सं. 23/4700 महानदी परियोजना की सी सी लाइंनिग एम बी सी सं. 10 का निमार्ण	मुख्य अभियंता कार्यालय एम आर पी रायपुर का वर्ष 2015–16 का ग्रीष्म ऋतु आकलन	पूंजीगत व्यय का कार्य राजस्व व्यय में उल्लेखित होना था	5.48
45	मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छत्तीसगढ़)	24.01.15	अनुदान सं. 64/4700	स्वदेशी मेला (2014–15) रायपुर की जल संसाधन विभाग दुकान का आकलन	कार्यालय आकस्मिकता से कार्य भारित होना था	8.86
46	मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छत्तीसगढ़)	25.04.15	अनुदान सं. 23/4300 मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर के कार्यालय का ग्रीष्म ऋतु आकलन	मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग रायपुर का वर्ष 2014–15 का ग्रीष्म ऋतु आकलन	व्यय आकस्मिकता स्वभाव का है एवं 23/2700 से भारित होना था	8.01
47	मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छत्तीसगढ़)	04.10.14	अनुदान सं. 45/4702	राज्य स्थापना दिवस 2014 के महोत्सव में छ. ग. राज्य की जल संसाधन विभाग दुकान का आकलन	कार्यालय आकस्मिकता से कार्य भारित होना था	43.11
48	कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया	31.10.14	अनुदान सं. 41/4702	राज्य उत्सव 2014 की विभाग की दुकान का आकलन	कार्यालय आकस्मिकता से कार्य भारित होना था	0.87

1	2	3	4	5	6	7
49	मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बागों परियोजना बिलासपुर	23.02.15	अनुदान सं. 45/4702	साराडीह बराज की गाड़ी सी जी 02/1684 की मरम्मत का आकलन	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	0.74
50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार, भाटा पारा	10.12.14	अनुदान सं. 40/4705	गाँव कुम्हारी, अमलीडीह, इकाई 1 एवं 2 के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	2.71
51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार, भाटा पारा	10.12.14	अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना	गाँव मटिया के डबल्यु यू ए हसुआ कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	1.44
52	अधीकक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भूमि जल सर्वे क्षेत्र	20.02.14	अनुदान सं. 23/4702	शासकीय जीप मार्शल सी जी 02/1698 का मरम्मत आकलन	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	0.50
53	मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छत्तीसगढ़)	24.1.15	अनुदान सं. 64/4700	26 जनवरी 2015 को जल संसाधन विभाग की झांकी का आकलन	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	9.74
54	अधीक्षक अभियंता, इंदिरावती परियोजना क्षेत्र, जगदलपुर	22.1.15	अनुदान सं. 41/4702	जगदलपुर में गंणतंत्र दिवस उत्सव पर मॉडल पर निमार्ण	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	1.09
55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार, भाटा पारा	27.11.14	अनुदान सं. 45/4702	बलौदा बजार कार्यालय के विद्युत कार्यों की मरम्मत	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	0.19
56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल बलौदा बजार, भाटा पारा	26.11.14	अनुदान सं. 45/4702	सिचांई अवधि के पश्चात महुतारा नहर की मरम्मत	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	0.50
57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल बलौदा बजार, भाटा पारा	26.11.14	अनुदान सं. 45/4702 बागबुड़ा विपथन परियोजना	डब्लयू यू ए बांगबूढ़ा में बांगबूढ़ा विपथन परियोजना की मरम्मत एवं रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	0.50
58	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल, भाटा पारा	23.09.14	अनुदान सं. 45/4702 खपारी आनीकट	शिवनाथ नदी, ब्लाक–बलौदा बजार खपारी अनीकट की मरम्मत	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	0.63

1	2	3	4	5	6	7
59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल, भाटा पारा	23.09.14	अनुदान सं. 45/4702 केशला आनीकट	शिवनाथ नदी, ब्लाक–बलौदा बजार केसला अनीकट की मरम्मत	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	0.61
60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल, भाटा पारा	23.09.14	अनुदान सं. 45/4702 सिलवा आनीकट	शिवनाथ नदी, ब्लाक–बलौदा बजार सिलवा अनीकट की मरम्मत	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	0.76
61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल, भाटा पारा	23.09.14	अनुदान सं. 45/4702 पानड़रिया आनीकट	शिवनाथ नदी, ब्लाक–बलौदा बजार पानड़रिया अनीकट की मरम्मत	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	0.52
62	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल, भाटा पारा	30.09.14	अनुदान सं. 45/4702 बलौदा नहर	बलौदा नहर के चैनल 275 (इकाई 2) के सैफन का नवीनीकरण	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	2.95
63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल, भाटा पारा	16.09.14	अनुदान सं. 64/4702	पुराना कार्यालय भवन भठगाँव की मरम्मत	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	2.23
64	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण, महासमूंद	05.09.14	अनुदान सं. 8443 बाढ़ आपदा को जमा कार्य	घोरघाटी मुख्य नहर की मरम्मत एवं रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	29.83
65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण, महासमूंद	05.09.14	अनुदान सं. 8443 बाढ़ आपदा को जमा कार्य	चैनल 125, 70, 90, 130, 30, लामभेनी नहर की मरम्मत का रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	15.43
66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण, महासमूंद	05.09.14	अनुदान सं. 8443 बाढ़ आपदा को जमा कार्य	चैनल 32, 56, 57, 58, 60, सिंघारा नहर की मरम्मत का रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	16.27
67	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण, महासमूंद	05.09.14	अनुदान सं. 8443 बाढ़ आपदा को जमा कार्य	चैनल 10, 11, 12, 38, 52 से 57 तक, 88 से 100 तक, 104, 107 छीरापली नहर की मरम्मत का रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	6.28
68	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण, महासमूंद	05.09.14	अनुदान सं. 8443 बाढ़ आपदा को जमा कार्य	चैनल 59, 23, 50, 55 नहाल नहर की मरम्मत का रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	0.89
69	कार्यपालन अभियंता, टीडीपीपी, जल संसाधन निमार्ण, जगदलपुर बस्तर	14.08.14	अनुदान सं. 41/4701 "के" भवन नहर कार्य	जगदलपुर कार्यालय मडंल भवन एवं इंदिरावती परियोजना भवन का पूर्व निमार्ण रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	0.34

1	2	3	4	5	6	7
70	कार्यपालन अभियंता, टीडीपीपी, जल संसाधन निमार्ण, जगदलपुर बस्तर	22.09.14	अनुदान सं. 26/4702 पीथापुर नहर परियोजना	पीथापुर नहर परियोजना के नवीनीकरण के सर्वे कार्य का पुनः आकलन	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	0.80
71	अधीक्षण अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर, न. 6 नानदेलीभाटा शक्ति (छत्तीसगढ़)	14.08.14	अनुदान सं. 23/4700 मिनीमाता (हंसदेव) बांगो परियोजना	एल बी सी 49770 मी. सड़क के निरक्षण कक्ष की मरम्मत एवं रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	10.00
72	अधीक्षण अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर, न. 6 नानदेलीभाटा शक्ति (छत्तीसगढ़)	04.10.14	अनुदान सं. 23/4700	सिचांई कॉलोनी भाटा शक्ति के मडंल कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	10.09
73	अधीक्षण अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर, न. 6 नानदेलीभाटा शक्ति (छत्तीसगढ़)	04.10.14	अनुदान सं. 23/4700	जल संसाधन विभाग कॉलोनी शक्ति के उप मडंल कार्यालयों की मरम्मत एवं रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	9.98
74	अधीक्षण अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर, न. 6 नानदेलीभाटा शक्ति (छत्तीसगढ़)	04.10.14	अनुदान सं. 23/4700	सिचांई कॉलोनी नंनदेली भाटा शक्ति के एच टाइप क्वाटर की मरम्मत एवं रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	10.10
75	अधीक्षण अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर, न. 6 नानदेलीभाटा शक्ति (छत्तीसगढ़)	04.10.14	अनुदान सं. 23/4700	सिचांई कॉलोनी नंनदेली भाटा शक्ति के एफ टाइप क्वाटर की मरम्मत एवं रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	10.07
76	अधीक्षण अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर, न. 6 नानदेलीभाटा शक्ति (छत्तीसगढ़)	04.10.14	अनुदान सं. 23/4700	सिचांई कॉलोनी नंनदेली भाटा शक्ति के जी टाइप क्वाटर की मरम्मत एवं रख रखाव	राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था	10.10
योग						**414.235**

परिशिष्ट–3.12

(संदर्भः कंडिका–3.7.6.1; (क) पृष्ठ 74)

अनुबंधित अवधि के बाद पीडी खाते के अधीन अव्ययित राशि का विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	कोषालय का नाम	कार्यालय का नाम	प्राप्ति	भुगतान	शेष
1	जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर	35,81,47,501.00	66,07,130.00	35,15,40,371.00
		उप संचालक, महिला एवं बाल विकास, रायपुर	18,17,90,220.00	18,10,25,694.00	7,64,526.00
2	जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़	86,14,864.00	70,39,837.00	15,75,027.00
		परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, धरमजयगढ़	5,42,540.00	77,500.00	4,65,040.00
		कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़	1,44,108.00	0.00	1,44,108.00
3	जिला कोषालय अधिकारी, अम्बिकापुर	कलेक्टर (भू–अभिलेख), अम्बिकापुर	1,20,34,158.00	1,17,73,421.00	2,60,737.00
		मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीतापुर	15,00,000.00	0.00	15,00,000.00
		जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, अम्बिकापुर	3,11,66,304.00	3,10,16,304.00	1,50,000.00
		विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर	90,25,000.00	35,00,000.00	55,25,000.00
		जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर	1,29,07,200.00	11,82,046.00	1,17,25,154.00
		मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, उदयपुर	23,25,000.00	0.00	23,25,000.00
4	जिला कोषालय अधिकारी, जशपुर	सहायक संचालक, रेशम, जशपुर	4,87,000.00	0.00	4,87,000.00
		परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जशपुर	4,35,000.00	34,990.00	4,00,010.00
5	जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर	उप संचालक (मत्स्य), बिलासपुर	12,12,478.00	12,08,558.00	3,920.00
योग			**62,03,31,373.00**	**24,34,65,480.00**	**37,68,65,893.00**

परिशिष्ट–3.13
(संदर्भः कंडिका–3.7.6.1; (ख) पृष्ठ 74)
अनुबंधित सीमा के बाद राशि व्यय करने का विवरण

स. क्र.	कोषालय का नाम	पीडी धारक का नाम	माह में व्यय	₹ राशि में जुलाई 2014 के बाद
1	रायगढ़	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, रायगढ़	अगस्त, 2014	1,01,543.00
		परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, खरसिया, रायगढ़	सितम्बर, 2014	85,160.00
		परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मुकडेगा, रायगढ़	अगस्त, 2014	80,940.00
		परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, लैलूंगा, रायगढ़	अगस्त, 2014	80,940.00
		परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, धरमजयगढ़, रायगढ़	नवम्बर, 2014	80,940.00
योग				**4,29,523.00**

परिशिष्ट–3.14

(संदर्भः कंडिका–3.7.6.1; (ग) पृष्ठ 74)

वर्ष 2014–15 में अनुबंधित सीमा के बाद पीडी खाते में राशि जमा करने का विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र	कोषालय का नाम	कार्यालय का नाम	वर्ष 2014–15 में जमा
1	जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, रायगढ़	93,28,874.00
		परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, तमनार, रायगढ़	4,90,000.00
		परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, घड़घोड़ा, रायगढ़	4,40,000.00
		परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, धरमजयगढ़, रायगढ़	11,42,315.00
		परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, कापू, रायगढ़	2,60,000.00
		परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, खरसिया, रायगढ़	2,80,000.00
		परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मुकडेगा, रायगढ़	1,20,000.00
		परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, लैलूंगा, रायगढ़	5,60,000.00
		परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, रायगढ़ (ग्रामीण)	2,60,000.00
2	जिला कोषालय अधिकारी, जशपुर	सहायक संचालक, रेशम, जशपुर	1,63,000.00
		उप संचालक, कृषि, जशपुर	37,40,000.00
		सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर	18,98,61,925.00
		सहायक संचालक, उद्यान, जशपुर	14,23,205.00
		विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जशपुर	1,50,000.00
		जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर	37,51,784.00
		विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मनोरा, जशपुर	14,86,119.00
		विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बगीचा, जशपुर	3,76,16,075.00
		जिला निर्वाचन अधिकारी, जशपुर	44,27,028.00
		कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जशपुर	19.98,946.00
		जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जशपुर	4,32,64,750.00
योग			**30,07,64,021.00**

परिशिष्ट–3.15

(संदर्भ: कंडिका–3.7.6.3; पृष्ठ 75)

अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खाते का विवरण

(राशि ₹ में)

स.क.	कोषालय का नाम	कार्यालय का नाम	अप्रचलित अवधि	शेष राशि	योग
1	जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर	उप संचालक, महिला एवं बाल विकास, रायपुर	मार्च 2007	7,64,526.00	4,15,00,878.
		लघु बचत अधिकारी, रायपुर	जुलाई 2007	6,56,060.00	
		खाद्य नियंत्रक, रायपुर	जून 2008	2,02,24,467.00	
		संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, रायपुर	फरवरी 2008	48,55,825.00	
		छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर	जनवरी 2010	1,50,00,000.00	
2	जिला कोषालय अधिकारी, राजनांदगांव	कलेक्टर (खाद्य), राजनांदगांव	जुलाई 2009	89,32,134.00	89,32,134.00
3	जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़	कलेक्टर (वित्त), रायगढ़	मार्च 2010 से अप्रचलित	175.00	15,14,66,286.00
		जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़		297.00	
		कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, रायगढ़		15,01,63,800.00	
		कलेक्टर (खनिज), रायगढ़		1,12,573.00	
		जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, रायगढ़		11,89,441.00	
4	जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर–चांपा	जिला खाद्य अधिकारी	अगस्त 2010	57,02,000.00	57,02,000.00
5	जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बिलासपुर	मार्च 2010 से अप्रचलित	99,509.00	1,86,87,978.00
		कलेक्टर (खाद्य), बिलासपुर	सितम्बर 2010	1,85,88,469.00	
योग				**22,62,89,276.00**	**22,62,89,276.00**

परिशिष्ट–3.16
(संदर्भः कंडिका–3.7.6.5; पृष्ठ 76)
कोषालय एवं प्रशासक के पीडी खाते के आंकड़े के बीच अंतर

(राशि ₹ में)

स.क्र.	कोषालय का नाम	प्रशासक का नाम	वर्ष	कोषालय के अनुसार अंतशेष	प्रशासक के अनुसार अंतशेष	अंतर
1	जिला कोषालय, जांजगीर–चांपा	भू–अर्जन अधिकारी, जांजगीर	2010–2011	3,98,61,357.00	1,67,47,887.00	2,31,13,470.00
			2011–2012	4,94,54,979.00	2,39,83,349.00	2,54,71,630.00
			2012–2013	3,61,74,104.00	1,21,69,736.00	2,40,04,368.00
			2013–2014	55,71,86,380.00	1,39,20,160.00	54,32,66,220.00
			2014–2015	1,00,50,82,935.00	91,32,64,547.00	9,18,18,388.00
		संभागीय वन अधिकारी, जांजगीर	2010–2011	37,45,267.00	9,66,767.00	27,78,500.00
			2011–2012	38,87,129.00	10,53,629.00	28,33,500.00
			2012–2013	42,97,129.00	16,48,629.00	26,48,500.00
			2013–2014	46,21,673.00	20,27,173.00	25,94,500.00
			2014–2015	58,59,389.00	33,46,218.00	25,13,171.00
2	जिला कोषालय, अम्बिकापुर	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अम्बिकापुर	2012–2013	8,63,03,023.00	8,63,03,023.00	0.00
			2013–2014	5,46,36,166.00	4,91,12,449.00	55,23,717.00
			2014–2015	7,90,77,713.00	7,57,51,396.00	33,26,317.00
3	जिला कोषालय, बिलासपुर	उप संभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर	2010–2011	10,75,07,386.00	12,48,50,109.00	(–) 1,73,42,723.00
			2011–2012	12,25,42,442.00	15,79,26,275.00	(–) 3,53,83,833.00
			2012–2013	16,71,35,979.00	20,81,53,507.00	(–) 4,10,17,528.00
			2013–2014	14,90,86,779.00	21,41,49,301.00	(–) 6,50,62,522.00
			2014–2015	8,43,51,545.00	14,39,78,559.00	(–) 5,96,27,014.00
		उप संभागीय अधिकारी, कोटा, बिलासपुर	2010–2011	7,11,07,293.00	4,97,55,951.00	2,13,51,342.00
			2011–2012	17,77,95,604.00	6,18,35,938.00	11,59,59,666.00
			2012–2013	7,46,14,009.00	7,55,02,246.00	(–) 8,88,237.00
			2013–2014	8,71,14,294.00	5,47,86,851.00	3,23,27,443.00
			2014–2015	44,56,67,946.00	13,51,96,195.00	31,04,71,751.00

परिशिष्ट 3.17

(संदर्भः कंडिका–3.8.5.1; पृष्ठ 78)

संभाग जमा रजिस्टर में व्यपगत जमा की स्थिति जो कि संधारित है लेकिन अद्यतन नहीं है

सं.कं.	संभाग का नाम	पंजी की स्थिति	वर्ष जहाँ से जमा लंबित है	मदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, बेमेतरा	मार्च 2013 तक संधारित	0	0	0.00
2	लोक निर्माण भ/स बेमेतरा संभाग दुर्ग	जून 2011 तक संधारित	2001–02	344	151.37
3	लोक निर्माण विभाग बलौदा बजार	संधारित पर अद्यतन नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	रिकार्ड संधारित नहीं
4	मिनीमाता नहर विपथन स. 6, शक्ति	2010–11 तक संधारित	1992–93	66	123.00
5	जल संसाधन संभाग कोटा	2013–14 तक संधारित	1996–97	22	71.54
6	जल संसाधन संभाग जशपुर	2012–13 तक संधारित	2001–02	43	91.69
7	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, दुर्ग	2008–09 तक संधारित	2008–09	370	288.61
	योग			**845**	**726.21**

परिशिष्ट–3.18

(संदर्भः कंडिका–3.8.5.2; पृष्ठ 78)

नमूना जाँच संभागों के व्यपगत निक्षेपों का शासकीय खातों में लंबित जमा की स्थिति

सं.क्रं.	संभाग का नाम	पंजी की स्थिति	वर्ष (जहाँ से जमा लंबित है)	मदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खंड, रायपुर	संधारित	1996–97	98	78.55
2	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, महासमुंद	संधारित	1999–2000	190	77.29
3	जल संसाधन संभाग, महासमुन्द	संधारित	1981–82	14	27.30
4	लोक निर्माण विभाग संभाग, बेमेतरा, दुर्ग	जून 2011 तक संधारित	2001–02	344	151.37
5	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कांकेर	संधारित	2008–09	144	29.47
6	जल संसाधन विभाग संभाग, कोरबा	संधारित	2004–05	74	215.39
7	हसदेव बांगो नहर जल/संसाधन संभाग जांजगीर	संधारित	1983–84	251	79.35
8	एम.एस.मिनीमाता बांगो नहर संभाग संख्या–06, सक्ति	2010–11 तक संधारित	1992–93	66	123.00
9	लोक निर्माण विभाग संभाग, रायगढ़	संधारित	1991–92	619	188.73
10	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, बिलासपुर	संधारित	1981–82	855	228.96
11	जल संसाधन विभाग संभाग, पेण्ड्रा रोड	संधारित	2006–07	21	80.67
12	लोक निर्माण विभाग, संभाग, रामानुजगंज	संधारित	2007–08	110	27.03
13	जल संसाधन विभाग, संभाग, कोटा	2013–14 तक संधारित	1996–97	22	71.54
14	जल संसाधन विभाग, संभाग, धरमजयगढ़	संधारित	1993–94	32	86.74
15	जल संसाधन विभाग, संभाग, जशपुर	2012–13 तक संधारित	2001–02	43	91.69
16	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, दुर्ग	2008–09 तक संधारित	2008–09	370	288.61
17	जल संसाधन विभाग, संभाग, गरियाबंद	संधारित	2004–05	55	58.12
	कुल योग			**3308**	**1,903.81**

परिशिष्ट– 3.19
(संदर्भः कंडिका–3.8.5.4; पृष्ठ 79)
जमा खातों में राजस्व का अवधरण

(₹ में)

सं. कं	संभाग का नाम	वर्षों से	कर				
			रॉयल्टी	कर्मकार उपकर	वाणिज्यिक कर (वैट)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सकल योग
1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना संभाग, रायपुर	उपलब्ध नहीं	0.00	12,92,328.00	0.00	10,90,312.00	23,82,640.00
2	जल संसाधन विभाग संभाग, महासमुन्द	2012–13	97,971.00	0.00	0.00	0.00	97,971.00
3	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, बेमेतरा	2014–15	11,190.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00
4	लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, कवर्धा	2014–15	8,21,552.00	6,42,115.00	0.00	0.00	14,63,667.00
5	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कांकेर	2012–13	0.00	3,13,783.00	10,93,942.00	0.00	14,07,725.00
6	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कोण्डागाँव	2014–15	24,500.00	0.00	1,58,260.00	0.00	1,82,760.00
7	जल संसाधन विभाग, संभाग–कोरबा	उपलब्ध नहीं	34,848.00	0.00	3,70,457.00	0.00	4,05,305.00
8	हसदेव बांगो जल/प्रबंधन संभाग, जांजगीर	2012–13	26,90,436.00	54,45,817.00	21,15,151.00	0.00	1,02,51,404.00
9	एम.एम.मिनीमाता बांगो नहर संभाग संख्या–06, सक्ति	2012–13	22,50,644.00	1,76,247.00	2,74,218.00	0.00	27,01,109.00
10	जल संसाधन विभाग, संभाग, जशपुर	03ध्2013	11,16,365.00	1,11,053.00	10,83,778.00	0.00	23,11,196.00
11	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, दुर्ग		12,47,483.00	4,92,693.00	0.00	0.00	17,40,176.00
कुल योग			**82,94,989.00**	**84,74,036.00**	**50,95,806.00**	**10,90,312.00**	**2,29,55,143.00**